संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001-2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001-2002)

जनपद - इटावा

NIEPA DC
D11490

-54219
372
ETA - D

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11490
Date 09-07-2002.

इटावा

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–6
2.	शैक्षिक परिदृश्य	7–22
3.	नियोजन प्रक्रिया	23–31
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	32–35
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	36–41
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	42–47
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0/ए0आई.ई0)	48–59
8.	ठहराव में वृद्धि	60–80
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	81–120
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	121–144
11.	परियोजना लागत	145-158
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	159-168
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय–1

जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जनपद इटावा के नाम की उत्पत्ति स्वयं में एक रोचक दास्तान से परिपूर्ण है. लोक प्रचलित कथानक के अनुसार राजपूत राजाओं में प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा सुमेर सिंह वर्तमान इटावा के निकट यमुना नदी के तट पर स्नान करने आये थे. जहां एक बकरी एवं भेड़िया साथ–साथ पानी पी रहे थे। इस विस्मयकारी दृश्य के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिषियों के परामर्श से वहां पर एक किला के निर्माण कराने का निर्णय लिया. किला निर्माण की नींव खोदते समय एक सोने एवं एक चांदी की ईट प्राप्त हुई जिसे मजदूरों ने शोर मचाकर ईट आया अर्थात (ईट मिली) कहा। मजदूरों के चिल्लाने की ध्वनि के आधार पर उस जगह का नाम ईट आया पड़ा। जो कि बाद में इटावा में परिवर्तित हो गया।

इटावा जनपद कानपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है इसकी उत्तरी सीमा मैनपुरी एवं फर्रूखाबाद जनपदों तथा पूर्वी सीमा नव सृजित जिला औरैया से मिली हुई है. दक्षिणी सीमा आंशिक रूप से जालौन तथा भिण्ड (म.प्र.) जनपदों से मिली हुई है शेष पश्चिमी सीमा विशुद्ध प्रेमिल यादगार ताजमहल के प्रसिद्ध शहर आगरा से जुड़ी है। जनपद इटावा 26.21 डिग्री एवं 27.1 उत्तरी अक्षांश तथा 78.45 और 79.45 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

जनपद इटावा में इटावा, जसवंतनगर, सैफई, भरथना एवं चकरनगर पांच तहसीलें है साथ ही बढ़पुरा, बसरेहर, जसवंतनगर, सैफई, चकरनगर, महेवा,

ताखा तथा भरथना सहित कुल आठ विकास खण्ड है। जनपद में चम्बल, यमुना, क्वारी, सेंगर, पुरहा, अहनैया, सरसों, अरण्य तथा पाण्डो कुल नौ नदियां हैं। यमुना नदी जसवंतनगर, बढ़पुरा, महेवा चकरनगर विकास खण्डों से होकर गुजरती है।

जनपद इटावा का क्षेत्रफल सर्वेयर आफ इण्डिया के अनुसार 9432 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद तल से 146.3 मीटर से लेकर 149.7 मीटर तक ऊंचाई पर स्थित है।

पर्यटक स्थल

इटावा जनपद में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है जिसमें यमुना नदी के किनारे बसा आसई का दुर्ग, भरेहश्वर का मंदिर, चकरनगर तहसील में पांच नदियों का संगम पचनदा, प्रतापनेर किले के अवशेष स्थान, कचौरा घाट, मूंज के खेतों के मध्य स्थित शिवलिंग, भरथना तहसील ऊसराहार के निकट सरसईनावर में बाइस ख्वाजा (मजारें) इटावा–फर्रूखाबाद मार्ग पर दतावली में एक अनाम चुगलखोर की मजार इटावा औरैया मार्ग पर इकदिल के पास बावरी व लखना में कालिका देवी का मंदिर है। प्रचीनतम स्वरूप की अभिव्यक्त करने वाला कालीवाहन मंदिर इटावा के गौरवमयी इतिहास को वखान करते हैं।

भूमि व उपज

इटावा की भूमि दोमट एवं मटियार है, वीहड़ांचल में लाल एवं कंकरीली मिट्टी पाई जाती है यहां पर ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत तीनों ऋतुऐं होती है। यहाँ धान, गेहूं, जौ, मटर, चना, ककड़ी, खीरा, तरबूज, लाही व गन्ना आदि की फसलें पैदा की जाती है। आलू की खेती के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

सिंचाई के साधन

इटावा जनपद में सिंचाई के लिए मुख्य साधन नहरें हैं इसके साथ ही नदियों के पानी से भी सिंचाई की जाती है. नलकूप भी सिंचाई का एक अच्छा साधन है। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जनपद इटावा का सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र सिंचित है।

उद्योग धन्धे

जनपद इटावा का प्रमुख उद्योग कृषि एवं पशु पालन है पशुओं का प्रयोग कृषि के साथ-साथ दूध, घी, मक्खन बनाने के लिये किया जाता है। हथकर्घा से बने सूती वस्त्र विदेशों तक को निर्यात किये जाते हैं।

भाषा एवं संस्कृति

इटावा में बृज, कन्नौजी एवं बुन्देली भाषा मिश्रित रूप में बोली जाती है जो सभी के हृदय को मोह लेने वाली होती है। यहां पर आल्हा, कजरी, फाग, लंगुरिया, भजन, कीर्तन एवं लोकगीत यहां की संस्कृति पर चार चांद लगाते हैं। जनपद इटावा के लोगों का मुख्य भोजन, दाल, चावल, सब्जी रोटी है। शादी विवाह के अवसर पर मट्ठा के आलू, हलुआ का महत्व ही अलग होता है। यहां के लोगों में पुरूषों की वेष भूषा धोती, कुर्ता एवं महिलाओं में साड़ी, ब्लाउज का चलन है। नवम्बर के माह में इटावा में पशु मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन होता है जो एक माह तक रहता है जिसका प्रदेश में दूसरा स्थान है।

जिले की प्रशासनिक इकाईयाँ

जनपद इटावा का विभाजन सितम्बर 1997 में होने के पश्चात नवीन जनपद के पांच तहसीलें एवं 8 विकास खण्ड ही हैं। जिनका विवरण सारणी संख्या 1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी–1.1

	संख्या
तहसील	05
विकास खण्ड	08
न्याय पंचायत	075
ग्राम सभायें	416
राजस्व ग्राम	620
बस्तियों की संख्या	2135
नगरीय क्षेत्र	—
नगर निगम	—
नगर महापालिका	—
नगरपालिका	03
टाउन एरिया	03
वार्ड	83

स्रोत : जिला संख्यिकीय पत्रिका

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद इटावा की कुल जनसंख्या 11.13 लाख थी। जिसमें 6 लाख पुरूष एवं 5.12 लाख महिलायें थीं। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2.55 लाख थी। वर्ष 2001 में जनपद की जनसंख्या 13.40 लाख है। जिसमें 7.22 लाख पुरुष एवं 6.18 लाख महिलायें हैं। जनपद में 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या 230617 है, जो कुल आबादी का 17.2 प्रतिशत है। जनपद इटावा का लिंग अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 856 महिलायें हैं। जनपद का जनसंख्या घनत्व 586 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

क्रम सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991						जनसंख्या 2001 अनुमानित					
		कुल जनसंख्या			अनु. जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु. जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	विकास खण्डों की जनसंख्या	534455	454521	988976	131498	109133	240631	653228	554866	1208094	170897	142613	313510
2.	नगर क्षेत्र का नाम	65961	58071	124032	7574	7105	14679	80472	70847	151319	9240	8668	17908
	जनपद का कुल योग (ग्रामीण+नगरीय)	600416	512592	1113008	139072	116238	255310	733700	625713	1359413	180137	151281	331418

नोट : जनगणना 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार व जातिवार जनसंख्या सारणी अभी उपलब्ध नही है। इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

सारिणी संख्या 1.3

विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार जन संख्या का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			1991 की कुल अनु0जाति की जन संख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित अनु0जा0 की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	बसरेहर	66354	51339	117693	16745	13415	30160	79354	63611	142965	19836	15902	35738
2.	सैफई	40969	37818	78787	6964	6429	13393	50010	46163	96173	8501	7848	16349
3.	बढ़पुरा	61703	56957	118660	13995	11922	25917	75277	69488	144765	17074	14545	31619
4.	चकर नगर	39603	35259	74862	9138	8547	17685	48316	43015	91331	11148	10427	21575
5.	भरथना	84947	71386	156333	21095	17709	38804	103635	89091	192726	25735	21605	47340
6.	ताखा	60031	43608	03630	18405	10314	34710	61037	53201	114238	10146	17940	37086
7.	जसवंत नगर	98715	80766	179481	13673	11005	24678	120432	98534	218966	30108	24633	54741
8.	महेवा	92133	77388	169521	31483	23792	55275	115167	91763	206930	39349	29713	69062
	योग	534455	454521	988976	131498	109133	240631	653228	554866	1208094	170897	142613	313510
9.	नगर क्षेत्र	65961	58071	124032	7574	7105	14679	80472	70847	151319	9240	8668	17908
	योग	600416	512592	1113008	139072	116238	255310	733700	625713	1359413	180137	151281	331418

स्रोत – जनगणना 1991

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड वार, जातिवार सारणी उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 से लागू हुयी थी, जो वर्ष 2000 में समाप्त हुई। इसके अन्तर्गत जनपद इटावा में 422 प्राथमिक विद्यालय तथा 211 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत 422 जनपद में 127 अतिरिक्त कक्षा कक्षों तथा 512 शौचालयों का निर्माण हुआ। दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत 2 विद्यालय, 2 शौचालय तथा 2 हैण्ड पम्प का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 75 संकुल भवनों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कारण जनपद में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। परियोजना के अन्तर्गत जनसहभागिता द्वारा, जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों के विचारों द्वारा शिक्षा स्तर में संतोषजनक प्रगति हुई तथा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा।

जनपद इटावा में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 53.7 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण साक्षरता 51.3 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 66.3 प्रतिशत है। जिसमें कुल पुरुष साक्षरता 66.2 प्रतिशत एवं कुल महिला साक्षरता 38.3 प्रतिशत है। नगरीय पुरुष साक्षरता 74.4 प्रतिशत के सापेक्ष ग्रामीण पुरुष साक्षरता 64.7 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगरीय महिला साक्षरता 57 प्रतिशत के सापेक्ष ग्रामीण महिला साक्षरता 34.7 प्रतिशत है। जिसका सारणी 2.1 में दर्शाया गया है तथा विकास खण्डवार साक्षरता दर संलग्नक 2.1 में दर्शाया गया है।

	राज्य की साक्षरता दर (1991)	जनपद की साक्षरता दर (1991)
कुल साक्षरता	53.7 प्रतिशत	41.60 प्रतिशत
ग्रामीण साक्षरता	51.3 प्रतिशत	36.66 प्रतिशत
नगरीय साक्षरता	68.3 प्रतिशत	61.03 प्रतिशत
कुल पुरुष साक्षरता	66.2 प्रतिशत	55.73 प्रतिशत
कुल महिला साक्षरता	38.3 प्रतिशत	25.31 प्रतिशत
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	64.7 प्रतिशत	52.05 प्रतिशत
ग्रामीण महिला साक्षरता	34.7 प्रतिशत	19.02 प्रतिशत
नगरीय पुरुष साक्षरता	74.4 प्रतिशत	69.68 प्रतिशत
नगरीय महिला साक्षरता	57.0 प्रतिशत	50.38 प्रतिशत

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 1998

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर कुल 59 प्रतिशत हो गई है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 67 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 48 प्रतिशत है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

विकास खण्ड वार साक्षरता

जनपद इटावा की विकास खण्ड वार साक्षरता दर का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड महेवा की साक्षरता दर 58.1 प्रतिशत है, जो सबसे अधिक है तथा विकास खण्ड चकरनगर की साक्षरता दर 42.2 प्रतिशत है, जो सबसे कम है। जिसका विवरण निम्नवत है।

संलग्नक 2.1

विकास खण्ड वार साक्षरता

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1	जसवंत नगर	65.7	32.1	50.6
2	बसरेहर	64.0	35.5	51.4
3	बढ़पुरा	60.9	30.4	47.2
4	ताखा	60.0	27.6	45.7
5	भरथना	65.5	34.1	51.3
6	महेवा	71.7	41.5	58.1
7	चकर नगर	36.7	24.2	42.2
8	सैफई	63.4	32.3	50.4
9	नगर क्षेत्र	74.4	57.0	66.3

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 1998

नोट : जनगणना 2001 की विकास खण्ड वार साक्षरता दर विवरण उपलब्ध नहीं है।

शैक्षिक संस्थायें

जनपद इटावा में वर्तमान समय में 1309 प्राथमिक विद्यालय एवं 486 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जिसमें 931 परिषदीय प्राथमिक एवं 378 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं तथा 271 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं 215 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जनपद इटावा में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त मिलाकर 32 हाईस्कूल एवं 50 इण्टर मीडिऐट विद्यालय संचालित हैं। जनपद में एक नवोदय विद्यालय, 6 महाविद्यालय, 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 2 तकनीकी संस्थान, 3 कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐं, 739 आंगनबाडी केन्द्र, 6 मकतब मदरसे, 3 संस्कृत पाठशालाऐं एवं एक विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान हेतु मान्यता प्राप्त संस्था संचालित है। जो सारणी 2.2 में दर्शाया गया है। विकास खण्डवार विवरण संलग्नक 2.2 दर्शाया गया है।

सारणी 2.2

शैक्षिक संस्थायें

क्र0		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	892	39	931	233	145	378	1125	184	1309			
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	266	05	271	134	81	215	400	86	486			
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उ.प्रा. अनुभाग	05	–	05	22	–	22	27	–	27	–	–	–
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	नवोदय विद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	01	01	–	–	–
7	हाईस्कूल	04	–	04	24	04	28	28	04	32			
8	इण्टरमीडिएट	03	02	05	37	08	45	40	10	50			
9	डिग्री कालेज	–	–	–	05	01	06	05	01	06	–	–	–
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	–	02	02	–	02	02	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0/पालो0)	–	02	02	–	–	–	–	02	02	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	–	01	01	–	2	2	–	03	03	–	–	–
14	आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या	739	–	739	–	–	–	–	739	739			
15	मकतब/मदरसे	–	–	–	03	03	06	03	03	06	–	–	–
16	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	03	–	03	03	–	03	–	–	–
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थायें	–	–	–	–	01	01	–	01	01	–	–	–
18	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

स्रोत – विभागीय आकडे

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद इटावा के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 2682 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 2357 अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार 325 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। जनपद इटावा में 217 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1391 पद सृजित हैं. जिसके सापेक्ष 1127 ग्रामीण एवं 27 अध्यापक नगर क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रकार सृजित के साक्षेप कार्यरत को घटाने के उपरान्त 237 पद रिक्त हैं। जिसे सारणी 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी–2.3

शिक्षकों की उपलब्धता (1–07–2000 की स्थिति)

		सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण		2253		217
	नगर		104		
	योग	2682	2357	325	
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण		1127		
	नगर		27		
	योग	1391	1154	237	

श्रोत –: विभागीय आंकड़े

विकास खण्डवार विवरण संलग्नक 2.3 में दर्शाया गया है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद इटावा में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 570 एवं 632 बस्तियाँ हैं। 516 ग्रामों एवं 316 बस्तियों में 1 किमी. से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। 56 ग्रामों एवं 248 बस्तियों में 1.5 किमी. से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है।

जनपद में 8 ग्राम एवं 68 ऐसी बस्तियां है जिनमें 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है इन हेतु बस्तियों को संचित किया जाना है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की सूची संलग्नक 2.9 में दिया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले 233 गाँव है जिनको 3 किमी. से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। 62 ऐसे ग्राम हैं जिनमें 3 किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है।

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाली 59 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनको 3 किमी. से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है तथा 24 ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें 3 किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक सुविधा उपलब्ध है उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय का 1 : 2 करने हेतु अतिरिक्त 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी। जिसका विवरण 2.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.4

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	516	56	8
बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	316	248	68

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय / मान्यता उ0प्रा0वि0	3 किमी0 से अधिक अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1 : 2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	233	62	प्रा.वि. 931 नवीन प्रस्तावित 76 योग – 1007
बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से	59	24	1 : 2 पर 503 उ.प्रा. वि. उ.प्रा. 271+हाई स्कूल एवं इण्टर 82=353 503–353=150

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

जनपद इटावा में कुल 931 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिसमें 895 भवन युक्त । 36 भवनहीन विद्यालय हैं भवनयुक्त विद्यालयों में 98 लघु मरम्मत तथा 27 वृहद मरम्मत योग्य हैं ; प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन एवं 81 हैण्डपम्प विहीन विद्यालय हैं इसके साथ ही 75 चहारदीवारी विहीन विद्यालय हैं।

जनपद इटावा में कुल संचालित 271 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 269 भवनयुक्त तथ 2 भवनहीन विद्यालय एवं 9 पुर्ननिर्माण योग्य विद्यालय हैं। संचालित विद्यालयों में से 25 विद्यालयों लघु मरम्मत एवं 12 विद्यालयों में वृहत मरम्मत की आवश्यकता है। संचालित विद्यालयों में 11 शौचालय विहीन 21 हैण्डपम्प विहीन एवं 214 चहारदीवारी विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिसका विवरण तालिका संख्या 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6
विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायें

प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0		ग्रामीण विकास खण्ड वार	नगर नगर क्षेत्रवार	योग
1	**प्राथमिक विद्यालय भवन**			
	एक कक्षीय विद्यालयों की सं0	10	–	10
	दो कक्षीय वि0 की संख्या	747	01	748
	तीन कक्षीय वि0 की संख्या	55	11	66
	चार कक्षीय वि0 की संख्या	48	–	48
	पांच कक्षीय वि0 की संख्या	15	–	15
	पांच कक्ष से अधिक	08		08
2	अन्य भवन में संचालित–09	कुल विद्यालय संख्या–931	भवन युक्त–895	भवनहीन–36 जर्जर पुर्ननिर्माण–41
	मरम्मत योग्य विद्यालय	लघु मरम्मत योग्य–98	वृहद मरम्मत योग्य –27	
	शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय–82	शौचालय विहीन विद्यालय–:	शौचालयों की आवश्यकता–79
	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त–823	हैण्डपम्प विहीन–81	हैण्डपम्प की आवश्यकता–81
	चाहरदीवारी	चाहर दीवारीयुक्त–148	चाहरदीवारी विहीन–756	चाहरदीवारी आवश्यकता– 756

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालयों की संख्या 271 भवनयुक्त 269 भवनहीन–02 जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य–09)		
मरम्मत योग्य	लघु मरम्मत–25		वृहत मरम्मत–12
		नगर क्षेत्र	योग
कक्षीय विद्यालय	03		03
कक्षीय विद्यालय	02		02
कक्षीय विद्यालय	191		191
कक्षीय विद्यालय	59		59
कक्षीय विद्यालय	04		04
अधिक कक्ष वाले विद्या0	06	04	10
भवन में संचालित	01		
युक्त–259	शौचालय विहीन –11		
युक्त–250	हैण्डपम्प विहीन–21		
वारी युक्त–56	चाहरदीवारी विहीन–214		

खण्डवार विवरण संलग्नक 2.7 में दर्शाया गया है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

विद्यालय में भौतिक सुविधाओं से सम्बन्धित सारणी संख्या 2.7 के अवलोकन से वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी एवं आवश्यकता का आंकलन किया जा सकता है।

सारणी 2.4 में दर्शाये गये असेवित बस्तियों के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि जनपद इटावा में 76 असेवित बस्तियाँ हैं, जहाँ पर 300 से अधिक आबादी है एवं 1.5 किमी की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है, उन बस्तियों को सेवित किया जाना है। साथ ही 128 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 800 से अधिक है एवं 3 किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्राप्त नहीं है, वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं।

जनपद इटावा में 41 प्राथमिक विद्यालय व 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना है।

जनपद इटावा में कुल संचालित 931 प्राथमिक विद्यालय एवं 271 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन वृद्धि को देखते हुये क्रमशः 732 एवं 143 कुल 875 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी।

जनपद इटावा में 81 प्राथमिक विद्यालय एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प, 78 प्राथमिक एवं 12 उच्च प्राथमिक में शौचालय तथा 756 प्राथमिक एवं 215 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता है, जिसे पूर्ण कराया जाना है, जिसका विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.7
वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	76	—	76	150	—	150
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	41	—	41	9	—	9
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	767	—	767	61	—	6i
4.	पेयजल	81	—	81	22	—	22
5.	शौचालय	78	—	78	12	—	12
6.	चाहारदीवारी	756	—	756	215	—	215

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षो के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

संलग्नक – 2.2

विकास खण्ड वार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		मा0 से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक		हाईस्कूल		इण्टर		डिग्री कालेज		स्नातकोत्तर		आंगनवाडी		मकतब		विकलांग		तकनीकी		कम्प्यूटर		संस्कृत पाठ0	
क्र0	विकास क्षेत्र	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0	परि0	मा0
1	वसरेहर	129	24	37	16	–	7	–	1	–	7	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सैफई	74	20	24	9	2	3	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	वढपुरा	141	24	43	15	–	–	–	2	–	4	–	1	–	–	104	–	–	1	–	–	–	–		–	–	
4	चकरनगर	92	0	20	5	3	2	4	–	–	2	–	–	–	–	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	ताखा	76	21	22	14	–	3	–	8	–	3	–	–	–	–	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	भरथना	111	49	33	31	–	–	–	4	–	7	–	2	–	–	110	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	जसवंतनगर	113	36	30	17	–	–	–	6	1	7	–	1	–	–	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	महेवा	156	50	48	27	–	7	–	2	–	5	–	–	–	1	186	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3
	योग	892	233	266	134	5	22	4	24	3	37	–	5	–	1	739	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3
9	नगरक्षेत्र	39	145	5	81	–	–	–	4	2	8	–	1	–	1	–	–	–	3	–	1	2	–	1	2	–	3
	योग	931	378	271	215	5	22	4	28	5	45	–	6	–	2	739	–	–	6	–	1	2	–	1	2	–	6

स्रोत – विभागीय आंकडे

संलग्नक – 2.3

विकास खण्ड वार शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण

	प्राथमिक							उच्च प्राथमिक			
क्र0	विकास खंड का नाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2000	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या			सृजित	कार्यरत	रिक्त	–
1	बसरेहर		388						167		
2	सैफई		154						98		
3	बढपुरा		390						167		
4	चकरनगर		147						76		
5	ताखा		137						76		
6	भरथना		323						147		
7	महेवा		403						280		
8	जसवंतनगर		311						116		
योग			2253			217			1127		
9	नगरक्षेत्र		104			–			27		
योग			2357			217			1154		

स्रोत :– विभागीय आंकड़े

संलग्नक– 2.4

विकास खण्डवार परिषदीय/मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0	विकास खंड का नाम	परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता						परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता				
		1 किमी0 से कम		1 किमी0से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम		1.5 किमी0 से अधिक		3 किमी0 से कम दूरी पर		3 किमी0 से अधिक दूरी पर		उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उ0प्रा0 वि0 की संख्या
		ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम	बस्ती	ग्राम/बस्ती
1	वसरेहर	83	32	–	96	03	06	32	07	–	–	27
2	सैफई	57	75	9	35	–	03	37	27	07	02	10
3	वढपुरा	55	61	25	–	–	07	34	09	–	–	20
4	चकरनगर	60	13	–	19	–	11	23	06	18	12	20
5	ताखा	06	24	03	13	02	09	05	–	07	09	18
6	भरथना	78	51	05	08	02	08	36	04	01	–	14
7	जसवंतनगर	61	25	14	13	01	05	21	05	03	01	11
8	महेवा	116	35	–	64	–	19	45	01	26	–	30
	योग	516	316	56	248	08	68	233	59	62	24	150

स्रोत – विभागीय आंकड़े

संलग्नक 2.7

विकास खण्ड वार उपलब्ध भौतिक सुविधाएं

	प्राथमिक स्तर										उच्च प्राथमिक स्तर									
	बसरेहर	सैफई	बढ़पुरा	चकरनगर	ताखा	भरथना	जसवंतनगर	महेवा	नगर क्षेत्र	योग	बसरेहर	सैफई	बढ़पुरा	चकरनगर	ताखा	भरथना	जसवंतनगर	महेवा	नगर क्षेत्र	योग
एक कक्षीय	–	–	–	01	01	01	07	–	–	10	–	–	01	01	01	–	–	–	–	03
दो कक्षीय	98	64	130	85	68	83	87	132	01	748	–	–	–	01	–	01	–	–	–	02
तीन कक्षीय	09	05	02	06	06	07	08	12	11	66	27	19	35	24	18	01	28	39	–	191
चार कक्षीय	16	02	04	–	01	13	06	06	–	48	06	04	06	03	03	28	01	08	–	59
पांच कक्षीय	04	02	–	–	–	04	01	04	–	15	03	–	01	–	–	–	–	–	–	04
पांच से अधिक कक्षीय	02	01	–	–	–	–	04	01	–	08	–	01	–	–	–	03	01	01	04	10
अन्य स्थानों पर	–	–	05	–	–	03	–	01	–	09	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
कुल विद्यालय	129	74	141	92	76	111	113	156	39	931	37	24	43	29	22	33	30	48	05	271
भवन युक्त	129	74	136	92	76	108	113	155	12	895	36	24	43	29	22	33	30	48	04	269
भवनहीन	–	–	05	–	–	03	–	01	27	36	01	–	–	–	–	–	–	–	01	02
जर्जर (पुर्ननिर्माण)	–	–	05	06	03	07	03	15	02	41	–	–	02	03	01	–		02	01	[illegible]
लघु मरम्मत	04	09	22	05	14	09	20	11	04	98	04	03	07	03	04	01	01	02	–	25
वृहद मरम्मत	–	–	04	03	02	05	05	06	02	27	–	–	01	03	01	01	–	06		12
शौचालय युक्त	104	04	134	86	74	108	88	155	12	825	36	21	43	26	20	31	30	48	04	259
हैण्डपम्प युक्त	123	65	133	75	74	98	97	152	06	823	34	23	42	19	21	32	29	46	04	250
बाहरदीवारी	20	16	17	16	09	19	27	20	04	148	09	08	06	03	05	05	10	06	04	56
शौचालय विहीन	25	10	07	06	02	03	25	01	–	79	01	03	–	03	02	02	–	–	–	11
हैण्डपम्प विहीन	06	09	08	17	02	13	16	04	06	81	03	01	01	10	01	01	02	02	–	21
बाहरदीवारी विहीन	109	58	124	76	67	92	86	136	08	756	28	16	37	26	17	28	20	42	–	214

स्रोत – विभागीय आकड़े

संलग्नक 2.8

विकास खण्ड वार भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

विकास खंड का नाम	नवीन		पुर्ननिर्माण		अतिरिक्त कक्षा/कक्ष		पेयजल सुविधा		शौचालय		चाहरदीवारी	
	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0	प्राथमिक	उच्च प्राथ0
बसरेहर	09	27	–	–	98	5	6	03	25	01	109	28
सैफई	03	10	–	–	64	4	9	01	10	03	58	16
बढपुरा	07	20	05	02	130	10	8	01	07	–	124	37
चकरनगर	11	20	06	03	87	7	17	10	06	03	76	26
भरथना	09	14	07	–	85	5	13	01	03	02	92	28
ताखा	12	18	03	01	70	11	2	01	02	02	67	17
जसवंतनगर	06	11	08	–	101	4	16	02	25	–	86	20
महेवा	19	30	15	02	132	15	4	02	–	–	136	42
योग	76	150	44	08	767	61	75	21	78	11	748	214
नगरक्षेत्र	–	–	02	01	–	–	06	01	–	01	08	01
योग	76	150	46	09	767	61	81	22	78	12	756	215

स्रोत – विभागीय आंकड़े

संलग्नक 2.9

विकास खण्डवार असेवित बस्तियां

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है और 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
1	चकरनगर	11
2	जसवन्तनगर	06
3	भरथना	09
4	बसरेहर	09
5	बढ़पुरा	07
6	सैफई	03
7	ताखा	13
8	महेवा	19
	योग	76

स्रोत – विभागीय आंकड़े

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद इटावा

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य करती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	वृद्धि प्रतिशत
कक्षा 1		66370	64009	68712	3.52
कक्षा 2		67668	67885	65247	(-) 6.42
कक्षा 3		57753	65288	63921	10.67
कक्षा 4		42272	52174	53986	27.71
कक्षा 5		32658	40104	44232	35.44
योग		**266721**	**289460**	**296098**	**11.01**
जी0ई0आर0					
कुल		77.24	88.79	88.82	
बालिका		78.34	84.42	90.56	
एन0ई0आर0					
कुल		67.14	77.23	83.85	
बालिका		63.32	78.40	85.66	

जनपद के नामांकन में औसतन 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 से अधिक हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	686	931	35.7
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2011	2682	33.4

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 5.1 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	औसत
1998	9.28	12.71	18.08	17.11	-	
1999	0.50	3.47	6.81	1.70	-	
2000	0.50	5.75	16.92	14.85	-	

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 30.6 प्रतिशत से घटकर 27.7 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	1.30	7.38
1999	5.21	5.71
2000	0.39	6.63

रिपीटीशन दर मात्र 4.6 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.49 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — 1 : 49

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — 13.97

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) —

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:59 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–इटावा

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	8238	7125	5976	21339	-
1999-2000	8455	7424	6169	22048	3.32
2000-2001	8996	7880	6777	23653	7.27

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये! विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	16136	8238	-
1999-2000	17109	8455	52.39
2000-2001	19552	8996	52.58

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग 48% बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

22 C

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	93	271	191%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	997	1196	20%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि० प्रा० विद्यालय संस्था	परि० उच्च प्रा० विद्यालय संस्था	उच्च प्रा० विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि०	योग (3+4)	प्रा० विद्यालय उच्च प्रा० विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	892	266	68	334	2.67 : 1
नगर क्षेत्र	39	5	14	19	2.05 : 1
योग	**931**	**271**	**82**	**353**	**2.6 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:2.6 है।

इटावा

अध्याय– 3

नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम में प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या.
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक- युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इन्ही को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया हैं।

- ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नहीं जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री श्री बाबू राम हरित जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाड़ी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे है अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यो का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 416 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 83 वार्डों के कुल 262536 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इनमें 6–14 वय वर्ग के कुल 339409 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6–11 वय वर्ग 217621 के बच्चे थे।

द्वितीय चरण –

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नही जा रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरित किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ-साथ समय-समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर-घर जाकर जन सम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों को चिन्हांकित किया गया। और इनमें से कुल 200456 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के कुल 67227 का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। इस प्रकार अभियान के अंत में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय में नामांकित किया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11 वय वर्ग	114428	103193	217621	104463	95993	200456	9965	7200	17165
11–14 वय वर्ग	55323	16245	101568	36966	30261	67227	18357	15984	34341

"स्कूल चलो अभियान" के कारण "सर्व शिक्षा अभियान" के नियोजन में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। स्कूल चलो अभियान के कारण जन जागरूकता एवं जन सहभागिता का जिले स्तर पर, ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर पहले से ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सका।

पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक अन्तर है यह एक युद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है साथ ही साथ शालात्याग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शालात्याग शून्य करने के कई प्रयास किए गए परन्तु इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शत प्रतिशत नामांकन एवं शालात्याग की दर 2003 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सर्वप्रथम जिले में अभियान की कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

(1) प्राचार्य, डायट
(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(3) लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा
(4) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
(5) जनपद से एक चयनित परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

(6) वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

(7) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त टीम ने सीमेट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात् जिले स्तर पर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक आहुत की गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों की चिन्हांकन विकास खण्डवार असेवित बस्तियां, स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण, शालात्यागी बच्चों का चिन्हिकरण, काम काजी बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। तत्पश्चात् कोर ग्रुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में बैठक (एफजीडी) की जिसमें बस्ती विशेष की मूल समस्याएं उभर कर आयी जिसके आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसके पश्चात् ब्लांक स्तर पर प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बलाई गयी जिसमे समुदाय में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य उभरकर आये साथ ही शिक्षकों के साथ की गयी बैठक में समुदाय की अपेक्षाओं पर विचारा विमर्श किया गया एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग लिया गया जिससे योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी। विभिन्न बैठकों (एफजीडी) में उभर कर आये मुद्दे तथा सुझाव निम्न सारणी में दिये गये है:-

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
12.02.2001	समाकक्ष जिलाधिकारी इटावा	जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा प्राचार्य डायट, कार्यक्रम अधिकारी जिला समाजकल्याण अधिकारी पंचायत राज अधिकारी लोक निर्माण विभाग नेहरू युवा केन्द्र युवक मंगल दल आदि। प्रतिभागी - 25	(1) मासिक परीक्षा की समीक्षा ग्राम शिक्षा समिति की प्रत्येक माह की बैठक में की जाय। (2) केवल असेवित बस्तियों मे ही विद्यालय खोले जाये। (3) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को समय सारणी में रखा जाय। (4) कक्षा 1 को दो भागों का किया जाये साथ ही प्रवेश की न्यूनतम उम्र 4 वर्ष रखी जाय।

22.02.2001	कामेत (बढ़पुरा)	ब्लाक प्रमुख बढ़पुरा क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान कामेत बी0डी0सी0 कामेत (प्रतिभागी – 15)	(1) स्थानान्तरण का गलत नियम एवं अध्यापकों का ठहराव एक ही विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक न हो। (2) दस्यु प्रभावित एवं बीहड़ क्षेत्र का होना। जिसके कारण बालकों विशेष तौर पर बालिकाओं में असुरक्षा की भावना होती है और इससे नामांकन तथा ठहराव दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (3) विद्यालय निर्माण की धनराशि सामान्य स्थानों से अधिक होना। (4) अध्यापकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाये।
23.02.2001	ककराही (ताखा)	ग्राम प्रधान ककराही जिला पंचायत सदस्य बी0डी0सी0 सदस्य ग्राम सभा खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी अन्य ग्राम के वरिष्ठ नागरिक (प्रतिभागी –21)	(1) अध्यापकों की कमी को दूर किया जाये। (2) शिक्षकों से गैर विभागीय कार्य न लिया जाये। (3) अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को पुरुस्कृत किया जाये। (4) सस्ती शिक्षा होने से अभिभावकों में नीरसता। (5) अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता न होना। (6) अभी भी रुढ़िवादिता है। जिसके कारण शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता ।
23.02.2001	सैंफई (सैंफई)	ग्राम प्रधान सैंफई उप प्रधान सैंफइ ब्लाक प्रमुख सैंफई बी0डी0सी0 सैंफई शिक्षकगण सैंफई (प्रतिभागी – 37)	(1) छात्रवृत्ति गरीवी स्तर के नीचे के बच्चों को दी जाय। (2) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाय। (3) अध्यापकों से परीक्षाफल की जवाबदेही। (4) बच्चों को विद्यालय न भेजने वाले अभिभावकों को समाज द्वारा प्रताड़ना दी जाय।
24.02.2001	जाहरपुर (चकरनगर)	ग्राम प्रधान बिड़ौरी बी0डी0सी0 सदस्य उप प्रधान ग्रामवासी, क्षेत्रीय प्रतिष्ठितजन। (प्रतिभागी – 23)	(1) दस्यु प्रभावित एवं बीहड़ांचल क्षेत्र होने के कारण शिक्षकों की कमी। (2) अध्यापकों के लिये इसी क्षेत्र से बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा के लिये चयन में वरीयता प्रदान की जाय।

			(5) विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व ब्लाक स्तर के अधिकारी का हो। (6) न्याय पंचायत स्तर पर एक-एक संगीत एवं व्यायाम शिक्षक की व्यवस्था की जाय। (7) कम्प्यूटर की महत्ता को देखते हुए कक्षा तीन से कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। (8) बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण विधिवत कराया जाये। (9) छात्रवृति के स्थान पर छात्रों को शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकें कापियाँ एवं ड्रेस की व्यवस्था करायी जाय। (10) योग्यतानुसार छात्रवृति प्रदान की जाय। (11) प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जाय। (12) भवन निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा ही कराया जाय। (13) गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं हो पाया है। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जायें।
10.02.2001	वीना (बसरेहर)	बी0डी0सी0 वीना बी0डी0सी0 कीरतपुर ग्राम प्रधान वीना ग्राम प्रधान सरसई हेलू ग्राम प्रधान परौली रमाइन ग्राम पंचायत सदस्य जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत सदस्य करी महिला ग्राम पंचायत सदस्य थुलरई (प्रतिभागी – 22)	(1) अध्यापकों की कमी। (2) नीरस शिक्षण विधि। (3) अध्यापक का अभिभावक से आपसी तारतम्य न बैठना (4) महिलाओं के अशिक्षित होने से बच्चों में शिक्षा के प्रति उदासीनता। (5) महिलाओं की सामाजिक स्थिति नीचे है तथा अभी भी बालिकाओं के साथ भेदभाव बरता जाता है और इन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है या बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है।

27.02.2001	इटावा	श्री जवर सिंह यादव अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ इटावा श्री महेन्द्र सिंह परवाना प्रचार मंत्री श्री जितेन्द्र त्रिपाठी मंत्री श्री अनीता टण्डन समिति सदस्य आदि (प्रतिभागी - 25)	(1) अध्यापक एवं अभिभावक मे नीरसता। (2) प्रधानो का अध्यापकों पर अनावश्यक दवाव। (3) स्थानान्तरण समय पर ही किये जायें एव समायोजन भी वर्ष में एक बार ही किये जाय। (4) स्थानीय गुटबन्दी का अध्यापक पर दबाव। (5) पाठ्य क्रम की जानकारी का अभाव।

सोशल एसेसमेंट स्टडी :-

कानपुर नगर में सोशल ऐसेसमेंट स्टडी जो डा० (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं व्यावहारिक कारण हैं, इनके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्ग गरीब–अमीर, हिन्दू–मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल समाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।

2. विद्यालय छोड़ देने वाली अधिकांश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

3. ह्रास–अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न स्तर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता–पिता ने अनुभव किया कि निम्न स्तर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च स्तर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. अभिभावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, में अपनी लडकियों को भेजने में संकोच करते हैं। गाँवों में बच्चे बढ़ती उम्र में विद्यालय जाना आरम्भ करते हैं और कक्षा–3 या 4 तक पहुँचते–पहुँचते वे 12–13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढ़िवादी परिवार जैसे–यादव, लड़कियों को लड़कों के साथ रहना पसन्द नहीं करते है। और इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए 10–14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड़ देती हैं।

5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारणों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च वहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 2500 रुपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लड़कियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0डी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लड़कियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।

6. स्कूल छोड़ने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा मजदूरी के कारण विद्यालय छोड़ा है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता–पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते है। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढ़ाने वाले

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो यह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगा।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हमने आंकलन किया तो यह पाया कि यह 3 या 4 किलोमीटर हो जाती है। 11–12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढ़ने–लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्राप आउट का कारण है। अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रापआउट को बढ़ावा दे रही है।

9. ड्राप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य–पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढ़ाये जाने वाले कक्षा कार्य की है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य–पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य–पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं ये पाठ्य–पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती है इसलिए ये बच्चों में रूचि पैदा करने में असमर्थ है। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता–क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहीं है। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रूचि खो देते है।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाते हैं एवं विधालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल–कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया–कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्राप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों, जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट स्टडी में निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

डॉ0 (श्रीमती) रक्षा सरन, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह जनपद इटावा में भी लागू होते हैं। अतः सभी सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (ट्राइसाइकल, बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथ्रेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 1.7 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेंथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – इटावा

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	105822	93843	199665	85716	76013	161729	81
2001-02	107621	95438	203059	94706	83986	178692	88
2002-03	109451	97061	206511	103978	92208	196186	95
2003-04	111311	98711	210022	113537	100685	214222	102
2004-05	113203	100389	213592	122260	108420	230680	108
2005-06	115128	102096	217223	128943	114347	243290	112
2006-07	117085	103831	220916	134648	119406	254054	115
2007-08	119076	105596	224672	139318	123548	262866	117
2008-09	121100	107391	228491	144109	127796	271905	119
2009-10	123159	109217	232376	147790	131060	278851	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – इटावा

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	44033	39049	83082	35667	31630	67296	81
2001-02	44782	39713	84494	38064	33756	71820	85
2002-03	45543	40388	85931	40533	35945	76478	89
2003-04	46317	41075	87392	43075	38199	81274	93
2004-05	47104	41773	88877	45691	40520	86211	97
2005-06	47905	42483	90388	48384	42908	91292	101
2006-07	48720	43205	91925	50668	44933	95602	104
2007-08	49548	43940	93488	52521	46576	99097	106
2008-09	50390	44687	95077	54421	48262	102683	108
2009-10	51247	45446	96693	56371	49991	106362	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	34
2001-02	30
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	16
2005-06	11
2006-07	5
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11490
Date 09-07-2002

Dropout rate1.doc

अध्याय–5
समस्याऐं व रणनीतियाँ

जनपद मे सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जानी है। स्कूल से बाहर/ शालात्यागी बच्चों को विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शतप्रतिशत नामांकित कराने, उनका ठहराव बनाये रखने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि से चर्चा में जो समस्यायें एवं मुद्दे उभरकर आये उनके समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां निम्न सारणी में वर्णित की गई हैं।

समस्याएं	रणनीति
अ. शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी	
1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	1— सामाजिक चेतना उत्पन्न करना जिससे बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन हो सके। इसके लिये महिला मंगलदल, महिला समाख्या, जन सम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

समस्याएं	रणनीति
2. शिक्षा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह	2. वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता पर लगे प्रश्न चिन्ह के निराकरण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोडा जायगा जिससे विद्यार्थियों में आत्म निर्भरता एवं करके सीखने का विकास हो सके साथ उनका आर्थिक पिछड़ापन भी दूर हो सके। विशेषकर बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई निर्माण कार्य में चटाई निर्माण, मोमबत्ती बनाना आदि के सिखाने का प्राविधान किया जायेगा।
3. असेवित बस्तियों में विद्यालयों का अभाव	3. 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं बस्तियां जहां पर 1.5 किमी की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं है वहां पर शिक्षा के लिये विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही 1 किमी की दूरी पर जहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है तथा 6 से 11 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध है वहां पर E.G.S. केन्द्र खोल कर तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए A.I.E केन्द्र खोलकर शिक्षा प्रदान की जायेगी।

समस्याएं	रणनीति
ब. नामांकन सम्बन्धी समस्या	
1. नामांकन के सही समय की जानकारी न होना	1. नामांकन के सही समय की जानकारी न होने के कारण बच्चों का प्रवेश सत्र के आरम्भ में नहीं हो पाता इसके लिए जून के आखिरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि	2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करने के लिए जुलाई में दो सप्ताह सामान्य जन सम्पर्क अध्यापक, अभिभावकों की गोष्ठी एवं नुक्कड़ नाटक, कठपुतली आदि का आयोजन किया जायगा जिससे अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायगा।
3. अध्यापक का समाज से अलगाव	3. अध्यापकों को समाज से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगीं जिससे अध्यापक एवं समाज में पारस्परिक सद्भावना सहयोग की भावना जागृत की जायगी। महिला शिक्षिकाओं द्वारा घरों की महिलाओं से सम्पर्क कर उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में जागृत कर महिलाओं के प्रति लगाव उत्पन्न किया जायगा।

समस्याएं	रणनीति
ख. ठहराव सम्बन्धी	
1. बच्चों में विद्यालय के प्रति अरूचि	1. विद्यालय वातावरण अरूचिकर होने के कारण छात्र विद्यालय से पलायन कर जाते हैं इसके लिये विद्यालय का वातावरण रूचिकर बनाया जायगा जिसनें बच्चों को खेल सांस्कृतिक एवं क्रियात्मक क्रिया कलापों का समायोजन करते हुए क्षेत्र ग्राम आदि का समावेश किया जायगा।
2. मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी	2. विद्यालय में 40:1 के अनुपात में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जिससे विद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात सही किया जायगा।
3. अभिभावकों में शिक्षा के अलावा अन्य चीजों की मान्यता	3. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों की गोष्ठियों का आयोजन किया जायगा एवं शिक्षा की महत्ता के बारे में अवगत कराया जायगा।

समस्याएं	रणनीति
द. गुणवत्ता सम्बन्धी	
1. मानक के अनुसार अध्यापकों का न होना	1. मानक के अनुसार अध्यापकों के न होने के कारण शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है इसके लिए 40:1 के अनुपात में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्रस्तावित है साथ ही बालिकाओं के लिए विशेषकर महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जायगी।
2. अध्यापकों का विद्यालय कम ठहराव	2. अध्यापक विभागीय गैर विभागीय सूचनाओं के संकलन में अधिक समय बरबाद न करें इसके लिए विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर सूचनाओं का संकलन कराया जायगा, जिससे अध्यापक का ठहराव विद्यालय में अधिक हो सके।
3. शिक्षण कार्य में अरुचि	3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरुचि को दूर करने के लिए सतत मूल्यांकन कराया जायगा इसके साथ ही अच्छे परीक्षा फल देने वाले अध्यापकों को पुरस्कार एवं खराब परीक्षा फल देने वाले अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक कर विचार किया जायगा।

समस्याएं	रणनीति
ग. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी	
1. अधिक बच्चों का प्रवेश	1. छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायगा साथ ही विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए पेड़ पौधों, क्रीड़ांगन का विकास कराया जायगा।
2. विशेष वर्ग के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	2. विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्ग के बालकों के लिए विशेष शिक्षा सुविधा का प्रावधान किया जायगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनायी जायगी।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (प्रथम)

नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 1993 से सन् 2000 तक कुल 422 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 211 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। पूर्व मे निर्धारित मानकों के अन्तर्गत कुछ असेवित बस्तियाँ जनसंख्या मानक पूरा न कर पाने के कारण छूट गयी थी। वर्तमान में इन असेवित बस्तियों की आबादी मानक के अनुरूप है। अतः इन असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्न कार्ययोजना प्रस्तावित है।

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसी असेवित वस्तियों एवं ग्रामों में की जानी प्रस्तावित है जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 किमी या इससे अधिक है। जनपद में कराई गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 76 असेवित वस्तियों व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिससे प्रत्येक वस्ती एवं ग्राम को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विकास खण्डवार असेवित वस्तियों/ ग्रामों की संख्या सारणी संख्या 6.1 में दर्शायी गई है।

सारणी 6.1

विकास खण्डवार असेवित ग्राम/वस्तियाँ

क्र0सं0	विकास खण्ड	असेवित ग्राम/वस्तियों की संख्या
1	बसरेहर	09
2	सैफई	03
3	जसवंतनगर	06
4	बढ़पुरा	07
5	चकरनगर	11
6	महेवा	19
7	ताखा	12
8	भरथना	09
योग		76

स्रोत – माइक्रोप्लानिंग डाटा

उक्त असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में कराया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में 40 एवं द्वितीय वर्ष में 36 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा जिससे असेवित ग्रामों/वस्तियों के बच्चों को शीघ्र ही विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकेगी।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियाँ जिनकी कुल आबादी 800 या उससे अधिक तथा 3 किमी. की दूरी पर उच्चप्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनकी संख्या 86 है जिसे सारणी 2.4 में दर्शाया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा. जिसके अनुसार जनपद इटावा में 150 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का आधार निम्नवत है:–

कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	931
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	76
कुल प्राथमिक विद्यालय	1007
1:2 के अनुसार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	1007/2=503
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	271
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय	82
कुल विद्यालय	353
इस प्रकार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	503–353 = 150

उपरोक्त मानक के अनुसार 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के पश्चात सभी असेवित वस्तियां स्वतः आच्छादित हो जायेंगी। नवीन प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या विकास खण्डवार सारणी 6.2 में दर्शायी गयी हैं।

सारणी 6.2

प्रस्तावित नवीन विद्यालय

क्र0सं0	विकास खण्ड	1:2 के अनुसार प्रस्तावित उ.प्रा.वि.
1	बरारेहर	27
2	सैफई	10
3	जसवंतनगर	11
4	बढ़पुरा	20
5	चकरनगर	20
6	महेवा	30
7	ताखा	18
8	भरथना	14
योग		150

उपरोक्त विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) द्वारा कराया जायेगा।

3. शिक्षक व्यवस्था–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में 1 प्र0अ0 तथा 1 स0अ0 की व्यवस्था प्रस्तावित है प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 प्र0अ0 तथा 4 सहायक अध्यापकों सहित कुल 5 अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। 5 अध्यापकों में से 1 विज्ञान, 1 गणित तथा 1 बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु 1 महिला शिक्षिका की व्यवस्था की जायेगी। प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापकों में से 1 प्राथमिक अध्यापक एवं 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी।

4. पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी–

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिस्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक / बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक शौचालय निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इनकी लागत विद्यालय की यूनिट कास्ट में शामिल है।

5. शिक्षण सामग्री / काष्ठोपकरण

प्राथमिक स्तर–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग डी0ई0पी0 की भांति सर्व शिक्षा अभियान में भी किया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री का क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमेन्ट– ढोलक, मजीरा, हार्मोनियम, बांसुरी आदि। क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वॉलीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूदने की रस्सी। क्लासरूम टीचिंग मैटीरियल– गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर–

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियां। 2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट। 3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट। 4. शब्दकोष– हिन्दी, अंग्रेजी–2 5. एटलस। 6. अध्यापकों के लिये विश्वकोष। 7. इसके अतिरिक्त 9 चार्ट 15 मानचित्र (भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, विश्व, एशिया, भारत, राज्य, जिला), ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट, ऑडियो कैसिट, प्लेयर टूइनवन। 8. क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वालीबॉल, स्कीपिंग रोल, एयरपम्प, डम्बल्स, हार्मोनियम, ढोलक, बांसुरी, मजीरा। 9. काष्ठोपकरण– कुर्सी, मेज, (प्रत्येक अध्यापक के लिये) 10. अन्य सामग्री– बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, अलमारी, दरी, पत्र–पत्रिकायें (विज्ञान प्रगति, आविष्कार, बालभारती एवं एक दैनिक समाचार पत्र)। उपरोक्त सभी सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कराने का वर्षवार कार्यक्रम अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है।

प्रस्तावित कार्य योजना की वर्षवार तालिका

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2001–2002	–	–	–
2002–2003	30	20	50
2003–2004	46	40	86
2004–2005	–	40	40
2005–2006	–	50	50
2006–2007	–	–	–
2007–2008	–	–	–
2008–2009	–	–	–
2009–2010	–	–	–
योग	76	150	226

6. निर्माण कार्यदायी संस्था –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी इटावा की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्रामशिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जाग्रत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय– 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (द्वितीय)

शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना :

जनपद में 6 से 11 वयवर्ग की सकल नामांकन दर 94.3 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष 33.8 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इसी प्रकार 11 से 14 वयवर्ग मे कुल छात्र नामांकन 75.2 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष 20 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इस प्रकार शालात्यागी बच्चों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इनमें अधिकांश बच्चे कामकाजी है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है।

सूक्ष्म नियोजन का आधार–

सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मानकर विकास खण्डवार निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित की गयी है। उपरोक्त माइक्रो प्लानिंग एवं सर्वेक्षण द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध हुए है उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में पुनः ग्राम/बस्तीवार परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा ताकि उन सभी बच्चों को चिन्हित किया जा सके। जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित अथवा दूर हैं। किसी भी योजना की सफलता उसके नियोजन पर निर्भर करती है। ये सर्वेक्षण इसलिये भी आवश्यक है कि जैसे-जैसे परियोजना वर्ष 2002–2003 में एवं इसके बाद आगे बढ़ती जायेगी, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0, ग्रीष्म कालीन शिविर आदि कार्यक्रमों को बच्चों के लक्षित/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी0 की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद इटावा में बसरेहर, बढ़पुरा, जसवन्तनगर, सैफई, भरथना, महेवा, ताखा व चकरनगर 8 विकास खण्ड हैं। चकरनगर व बढ़पुरा का क्षेत्र बीहड़ांचल है एवं शैक्षिक स्तर निम्न है। बीहड़, नदियों का किनारा व बीहड़ में रहने वाले दस्युओं के भय से जनसमुदाय बच्चों को विद्यालय भेजने से डरता है। साथ ही जनपद का दूरस्थ विकासखण्ड ताखा में भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुँच से दूर है। शेष विकास खण्डों में शिक्षा का स्तर औसत है।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक/नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 6–14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों की आयुसीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा E.G.S. केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं उन्हें वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा

सर्वेक्षण

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे के आंकड़े माइक्रो प्लानिंग के आधार पर प्राप्त किये गये है। नगर क्षेत्र की माइक्रो प्लानिंग अभी नहीं हुई है। माइक्रको प्लानिंग एन0जी0ओ0 के माध्यम से

कराकर ब्रिज कोर्स की स्थापना नगर क्षेत्र में की जायेगी। पूरे नगर क्षेत्र का सर्वे कराने की अपेक्षा विशिष्ट क्षेत्रों का सर्वे कराया जायेगा जहां अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग जो अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर काम में लगाते हों :-

1. सर्वे के अनुसार 6 से 14 वर्ग के उपलब्ध बच्चे :-

बालक	बालिका	योग
169751	149438	319189

2. 6 से 14 वय वर्ग के स्कूल जाने बच्चों की संख्या – 283601 है।

रणनीति

सर्वशिक्षा योजना अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कोर्स के माध्यम से स्कूल न जाने वाले 6 से 8 वय वर्ग के 5997 बच्चों तथा 9 से 14 वय वर्ग के 29591 के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है इसमें समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छात्र/छात्रा जो इन केन्द्रो पर पढ़ेंगे वह जिस समय भी मुख्य धारा से जोड़ने लायक हो जायेगे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी0 की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है. ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके लिए जनपद म 162 ई.जी.एस. एवं 54 ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। ई.

जी.एस. तथा ए.आई.ई. के लिए चिन्हित बस्तियों का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

सारणी 7.1

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक

एवं

नवाचार शिक्षा योजना

हेतु चिन्हित बस्तियों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या	
	E.G.S	A.I.E. नवाचार नाम
1. सैंफई	07	—
2. बसरेहर	13	—
3. जसवन्तनगर	13	7
4. बढ़पुरा	12	10
5. भरथना	10	8
6. ताखा	10	10
7. महेवा	10	10
8. चकरनगर	11	9
9.नवीन विद्यालय स्थलों पर	76	—
योग	162	54

स्रोत — अद्यतन सर्वेक्षण

कार्यक्रम

शिक्षा की पहुंच के विस्तार हेतु जनपद इटावा में निम्नांकित कार्यक्रम बनाये गये है—

ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना : जनपद इटावा में निम्नलिखित बस्तियों में ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

1. विकास खण्ड सैफई— 1. डेरा बंजारन, 2. अमसीपुर, 3. सुखदासपुर, 4. ओझा, 5. ककरारा, 6. मानिकपुर, 7. रकुईया

2. विकास खण्ड बसरेहर— 1. नगला मेंहदिया, 2. टिकूपुरा, 3. नं0 ठकुरी,

4. शिवराजेपुर, 5. शिवपुरी, 6. कबूली, 7. नवलपुरा,
8. नखर, 9. सिगरिया, 10. लालपुरा, 11. मुकन्दपुरा,
12. कलेपुरा, 13. नं0 हरनारायण।

3. विकास खण्ड जसवन्तनगर– 1. हीरासिंह, 2. ज्वालापुर, 3. नं0 झीला, 4. रौदपुर,
5. हनुमन्ता खेडा, 6. जलपोखर, 7. दोदुआ, 8. गलूपुरा,
9. विलासपुर, 10. नं0 दुलारी, 11. नं0 गोकुल,
12. कछपुरा, 13. नं0 लच्छी।

4. विकास खण्ड बढ़पुरा– 1. कृष्णानगर, 2. अड्डा लखनुपरा, 3. मनीनगर,
4. पुरातुलतसी, 5. भांवर, 6. अड्डा खलक, 7. बूसा,
8. नं0 फुंदी, 9. अड्डारामसिंह, 10. नं0 हरजू,
11. पुरा भगवानदास, 12. नं0 तार,

5. विकास खण्ड भरथना– 1. न0 राघे, 2. कीरतपुर, 3. कटहरा, 4. न0 रामलाल,
5. न0 बनी, 6. न0 नया, 7. तिलयानी, 8. मकहरा,
9. न0 भूरे, 10. न0 खरगजीत।

6. विकास खण्ड ताखा– 1. विशुनपुरा, 2. जुसराजपुर, 3. सुजानपुरा, 4. कनकुआ,
5. ध्यानपुरा, 6. प्रतापपुरा, 7. छिदरिया, 8. न0 पीपल,
9. घासीपुरा, 10. न0 महासिंग।

7. विकास खण्ड महेवा– 1. भीमनगर, 2. न0 भजू, 3. बिहारीपुरा, 4. नया नगला,
5. चमरपुरा, 6. न0 चंदी, 7. आनहार, 8. खौद, 9. हनुमन्तपुर,
10. राजपुरा।

8. विकास खण्ड चकरनगर– 1. न0 महानंद, 2. रनियां, 3. भजनपुरा, 4. मदौरियनपुरा,
5. गनेशपुरा, 6. बेराला, 7. कुरछा, 8. आकडांडा,
9. जाहरपुरा, 10. नीमडाडा, 11. प्रतापपुरा।

वैकल्पिक शिक्षा

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते है तथा जिनकी आयु 9 से 14 वष वर्ग की होती है। विशेषकर

बालिकाओं, कामकाजी, श्रमिक बच्चे को वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इसके लिये 9 से 14 वय वर्ग के कम से कम 20 बच्चे ड्राप एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध होंगे वहां पर नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढाई (जिस स्तर के बच्चे होंगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य व प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जायेगा।

नवाचार शिक्षा केन्द्र की स्थापना

6–11 एवं 11 से 14 वर्ष वर्ग के ड्राप आउट बच्चों के लिए केन्द्र निम्नलिखित बस्तियों में प्रस्तावित हैं–

विकास खण्ड	नवाचार केन्द्रों की सूची
1. जसवन्तनगर	1. न0गड़रिया, 2. श्यामनगर, 3. न0 भाट, 4. बिहारीपुर, 5. न0 रामजीत, 6. रतनगढ़, 7. ईश्वरपुरा।
2. चकरनगर	1. तमराकोला, 2. बहालिया, 3. न0 महानंद, 4. विधापुरा, 5. पुरा मलाहान, 6. प्रेम का पुरा, 7. कोटरा, 8. नीमरी, 9. रामफल की गढ़िया।
3. भरथना	1. न0 चमारान, 2. छोला, 3. डेरा बंजारान, 4. ककरईया 5. मजीरपुर, 6. मुशी का पुरा, 7. गजनिया, 8. तुरैया।
4. बढ़पुरा	1. अड्डा सती, 2. मड़ैया पछायगांव, 3. निहालपुरा, 4. जमघर, 5. खांद, 6. हरसौली, 7. नरायनपुरा, 8. मड़ैया सिलायता, 9. भाऊपुरा कछार, 10. असवा पश्चिमी कछार,
5. महेवा	1. मल्हूपुर, 2. हिमायूंपुर, 3. लवारपुरा, 4. बिरहाई, 5. हलूपुरा, 9. भगौती, 7. न0 हीरालाल, 8. कुन्दनपुर, 9. तुर्कपुर, 10. नवादाखुर्द,
6. बसरेहर	–निल–

7. सैफई		–निल–
8. ताखा		1. अठावर, 2 जाफरपुरा, 3 न0 वले, 4. वनकटी, 5. तैयापुर, 6 न0 खलक, 7 हिरमानी, 8. महुआ, 9. उसराहार, 10. मोहरी.

ब्रिज कोर्स

इटावा नगर क्षेत्र में बालश्रमिक तथा पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों के लिए जिनकी संख्या लगभग 150 है। ऋषि मॉडल के द्वारा ब्रिज कोर्स की व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है। इनकी आवासीय व्यवस्था के लिये एस0डी0फील्ड पर छात्रावास व जी0आई0सी0 का छात्रावास जो खाली है प्रस्तावित किया जाता है। इन छात्रावासों में 60 से 80 तक कक्ष उपलब्ध है।

केन्द्र किस प्रकार खोले जायेगे

केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयनित स्थान पर खोले जायेगे, जहां विद्यालय न जाने वाले 25 या 30 बच्चे उपलब्ध होगे। स्थान/कक्ष की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा ग्राम व वस्ती के ऐसे स्थान पर जहां सभी बच्चे आ सके व किसी वर्ग समुदाय के लोगों को आपत्ति न हो।

आचार्य एवं अनुदेशक की नियुक्ति

अनुदेशक यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय का निवासी हो। जहां केन्द्र स्थापित करना है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ई0जी0एस0 के लिये हाईस्कूल व उच्च प्राथमिक ए0आई0ई0 के लिए स्नातक होगी, स्नातक न मिलने पर इण्टर पास महिला को वरीयता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र प्राप्त करके परीक्षा के अंकों का प्रतिशत का ध्यान रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। नियुक्ति पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिया जायगा।

आचार्य अनुदेशक का प्रशिक्षण

एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिक का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनको नियुक्ति पत्र दिया जायगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असफल होने पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी उपलब्ध कराई जायेगी।

केन्द्रों के संचालन हेतु अनुशांगिक व्यय का प्राविधान

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशक को प्राथमिक स्तर पर 1000/– रू0 प्रतिमाह प्रति अनुदेशक एवं अपर प्राथमिक केन्द्र के अनुदेशक को 2000/– रू0 प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिये दिया जायगा। इसी प्रकार प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक केन्द्र के अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु क्रमशः 1500/– एवं 4000/– रू0 दिया जायगा। इसे प्रकार बच्चों के लिये शिक्षण समाग्री हेतु 100/– रू0 प्रतिछात्र प्राथमिक केन्द्र एवं 150/–रू0 प्रतिछात्र अपर प्राथमिक केन्द्र के लिये दिया जायेगा। केन्द्रों के शिक्षण सामग्री हेतु 1100/– रू0 प्रति केन्द्र एवं 1200/– रू0 अपर प्राथमिक केन्द्र के लिये दिया जायगा। प्राथमिक केन्द्र की कन्टेनजेंसी हेतु प्राथमिक स्तर पर 468.75 प्रतिकेन्द्र एवं 500/– रू0 अपर प्राथमिक प्रतिकेन्द्र दिया जायगा। उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशानिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबंधन पर व्यय सम्मिलित है।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण की प्रणाली :–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिदिन

2. सी0आर0सी0 समन्वयक– 10 प्रतिमाह
3. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र
4. प्रति उपविद्यालय निरीक्षक – 5 प्रतिमाह
5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी– 5 प्रतिमाह
6. विकास खण्ड अधिकारी– 5 प्रतिमाह
7. बेसिक शिक्षा अधिकारी– 5 प्रतिमाह
8. जिलाप्रशासन– 2 प्रतिमाह
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक– 2 प्रतिमाह

पर्यवेक्षण हेतु मानदेय की व्यय की व्यवस्था :–

विशेष पर्यवेक्षण हेतु डी0पी0ई0पी0 में 25 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था है।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन व मुख्य धारा (औपचारिक स्कूलों) में सम्मिलित होने की व्यवस्था

शिक्षार्थी व अनुदेशक दोनों का मूल्यांकन समय–समय पर होना चाहिये। मूल्यांकन हेतु प्रपत्र का निर्धारण होना चाहिये। मूल्यांकन में यह देखना है कि शिक्षार्थी मुख्य धारा की किस कक्षा में जाने की योग्यता को प्राप्त कर चुका है, उसे उस कक्षा की मुख्य धारा में जाने के लिये उपलब्ध निकटवर्ती औपचारिक स्कूल में नामांकित कराना है। नामांकन किसी भी माह मे हो सकता है, इसके लिये सितम्बर माह का प्रतिबन्ध नहीं है– अनुदेशक का मूल्यांकन उसके प्रतिदिन के कार्य, ड्राप आउट बच्चों की केन्द्र पर उपस्थिति व रूचिपूर्ण शिक्षण के माध्यम से बच्चों का ठहराव व उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के आधार पर किया जायेगा।

अनुश्रवण की व्यवस्था :–

प्रत्येक केन्द्र से वहां उपस्थिति छात्र/छात्राओं की उपस्थिति, ड्राप आउट की स्थिति, ड्राप आउट को पुनः केन्द्र पर लाने की स्थिति, शैक्षिक स्तर, मुख्य धारा से जुड़ाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रखरखाव (सफाई व साज सज्जा) सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का

सहभागिता, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक बैठकों से विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा।

प्रधान, बी०डी०सी० सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रों की सूची अनुदेशक के नाम, स्थल, व समय के उल्लेख के साथ अवश्य उपलब्ध कराई जायगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके। उस क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालय में बाहर बोर्ड पर केन्द्र का नाम, अनुदेशक का नाम, समय व स्थान अंकित किया जाये। जिससे जनसमुदाय को सम्पूर्ण जानकारी रहे।

चरणबद्ध कार्यक्रम

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. की स्थापना हेतु निम्नलिखित फेजिंग प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित कार्य योजना

	ई०जी०एस०	ए०आई०ई०
प्रथम चरण	76	24
द्वितीय चरण	46	30
तृतीय चरण	40	–
योग–	162	54

सारणी 7.1

EGS./AIE योजना हेतु सर्वेक्षण के परिणाम

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.2000 की स्थिति)

जनपद–इटावा

(1) 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या

बालक 169751 बालिका 149438 योग– 319189

(2) 6–14 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 283601

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48597	–	66047	13005	22957	150606
बालिका	41072	–	59766	11131	21026	132995
योग	89669	–	125813	24136	43983	283601

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	793	–	1507	497	321	3118
बालिका	682	–	1451	452	294	2879
योग	1475	–	2958	949	615	5997

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	333	–	414	606	126	1479
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग	333	–	414	606	126	1479

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारमूत आंकड़ें।

घुमन्तु बच्चें (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	161	—	202	201	52	616
बालिका	168	—	148	153	99	568
योग	329	—	350	354	151	1184

कामकाजी बच्चें (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	2990	—	5020	3233	1990	13233
बालिका	1990	—	6015	2995	1215	12215
योग	4980	—	11035	6228	3205	25448

सड़क छाप बच्चें (STREET CHIILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	109	—	108	142	103	462
बालिका	99	—	121	126	80	426
योग	208	—	229	268	183	888

विकलांग बच्चें (PHYSICAL HANDICAPPED CHILDIREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	योग
बालक	71 —	85	91	61	308
बालिका	86 —	76	65	57	284
योग	157 —	161	156	118	592

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

सारणी 7.2

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण के परिणाम

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार हैं।	स्कूल न आने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
कृषि	10020	8172	18192
पशुपालन	1103	756	1859
दुकानदारी	1102	859	1961
कुम्हार	161	136	297
बढ़ई	161	136	297
दर्जी	320	272	592
अन्य	180	136	396
योग	13027	10467	23594

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अन्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 29591 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मार्डल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सेवी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारन्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि कार्यक्रम

निर्माण कार्य –

जनपद इटावा में सभी के लिए शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993 से 2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविधायें सुधारने में प्रभावी कार्यवाही हुई है। जिसके अन्तर्गत जनपद में 245 प्राथमिक 178 उच्चप्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा 127 अतिरिक्त कक्षाकक्ष तथा 512 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार आया है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो छूटे हुए अथवा अवशेष भौतिक संसाधन हैं, उन्हें पूर्ण कराने का प्रस्ताव किया गया है जिसके अन्तर्गत 90 शौचालय, 102 हैण्डपम्प, 50 विद्यालय पुर्ननिर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। अतिरिक्त नामांकन तथा ड्राप आउट में कमी आने से 828 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता आंकी गयी है। साथ ही 971 विद्यालयों में चाहरदीवारी बनाने का प्रस्ताव किया गया है जिसका विवरण सारणी 8.1 में दर्शाया गया है।

जनपद इटावा में दस प्राथमिक विद्यालय एक कक्षीय एवं 747 दो कक्षीय विद्यालय भवनों को तीन कक्षीय करने की आवश्यकता होगी। अतः प्राथमिक स्तर पर 10x2=20 एवं 747x1= 747 कुल 767 अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर तीन एक कक्षीय एवं दो, दो कक्षीय विद्यालय हैं। जिनमें 3 एक कक्षीय विद्यालयों, में 3x2=6 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं दो कक्षीय विद्यालयों में एक–एक अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त जनपद में अतिरिक्त छात्र नामांकन को दृष्टिगत करते हुए 53 और कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 61 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। जिसकी वर्षवार कार्ययोजना सारणी 8.1 में दर्शायी गयी है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र

शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मानक के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। एकल अथवा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय पर एक अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी। शिक्षा मित्रों की व्यवस्था शासनादेश में उल्लेखित नियनों के आधार पर की जायेगी। आवश्यक अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों का आंकलन का विवरण सारणी 4.3 में दर्शाया गया है।

निर्माण योजना वर्षवार

सारणी 8.1

वर्ग	जर्जर		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चाहर दीवारी	
	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0
2001–02	20	4	250	16	28	6	21	12	200	65
2002–03	21	5	260	25	25	6	30	10	300	75
2003–04	–	–	257	20	25	–	30	–	256	75
2004–05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2005–06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2006–07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2007–08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2008–09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2009–10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2010–11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	41	09	767	61	78	12	81	22	756	215

चहारदीवारी के निर्माण हेतु राज्य सरकार के मानक के अनुसार रु0 40,000 की इकाई लागत रखी गई है। रु0 40,000 से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था स्थानीय समुदाय के सहयोग से की जायेगी। चहार दीवारी के निर्माण में कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 98 प्राथमिक विद्यालय तथा 27 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रु0 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 25 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय बृहत मरम्मत योग्य है जिनकी मरम्मत हेतु रु0 70,000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकर जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा बृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में आवश्यक अध्यापक/शिक्षा मित्र

सारणी 8.2

वर्ष	प्रभावी नामांकन	आवश्यक अध्यापक	आवश्यक शिक्षामित्र
2001–02	8514	57	57
2002–03	98849	231	230
2003–04	117285	139	139
2004–05	1288414	135	134
2005–06	139156	195	195
2006–07	154768	134	133
2007–08	165436	32	32
2008–09	168001	33	32
2009–10	170610	34	33

विद्यालयी सुविधायें :-

बी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय को आकर्षक एवं विकासोन्मुख बनाने के लिये 2000/- रू0 प्रति प्राथमिक विद्यालय एवं 4000/- रू0 प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 1997 से दिया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप विद्यालय के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण, बच्चों की शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों को जोड़ने के अच्छे परिणाम दिखे है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी प्रति विद्यालय मरम्मत/रखरखाव हेतु 5000/- रू0 प्रति वर्ष का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय विकास अनुदान हेतु 2000/- रू0 प्रति वर्ष प्राथमिक एवं 4000/-रू0 प्रति वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदान करने का प्राविधान किया है। विद्यालय विकास अनुदान से विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण, भवन की रंगाई-पुताई, रखरखाव की सामग्री, विद्यालय के उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री, उपकरण, अलमारी, मेज, कुर्सी आदि का क्रय किया जाना सम्मिलित हैं।

सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500/- रू0 प्रत्येक अध्यापक की दर से एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी, जो सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रदान की गयी। जिसके सकारात्मक परिणाम दिखे है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी 500/- रू0 प्रति अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है, जिसके द्वारा अध्यापक अपनी कक्षा एवं विषय से सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे।

कम्प्यूटर शिक्षा -

वर्तमान समय में विज्ञान एवं टेक्नोलोजी की महत्ता को देखते हुए बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। जिसके तहत सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक वर्ष हर विकास खण्ड में एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष उच्चप्राथमिक स्तर के 10 अध्यापकों को 20 दिन के प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है। जिससे वे बच्चों को प्रभावी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगें ।

विद्यालय मरम्मतः-

जनपद में 12 प्राथमिक विद्यालय तथा 22 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 25 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य हैं। जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। यह बालिकायें हमारे बालिका शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है। जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालय में होना चाहिये, उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। समाज के विशेष समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में यह स्थिति और भी खेद जनक है।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात् बालिका शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव में अपेक्षित सुधार आया है। इन सभी प्रयासों के पश्चात् अभी भी बालिका शालात्याग दर में हम शत प्रतिशत शून्यता को नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनायी गई है।

विकास खण्डवार बालिका शाला त्याग की दर

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	प्रतिशत	कुल दर
1	जसवन्तनगर	35.4	43.5
2	बसरेहर	37.7	42.3
3	बढ़पुरा	39.2	40.1
4	सैंफई	27.3	27.8
5	भरथना	31.8	29.9
6	ताखा	30.4	35.4
7	महेवा	33.6	35.7
8	चकरनगर	26.9	23.9
9	नगर क्षेत्र इटावा	73.7	78.4

स्त्रोत बेस लाइन रिपोर्ट 2000 – 2001

फोकस ग्रुप डिस्कसन के पश्चात् बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर के आये वे निम्नवत् हैं –

1. महिला शिक्षक का अभाव।
2. बढ़पुरा एवं चकरनगर के दस्यु प्रभावित एवं बिहड़ांचल क्षेत्र हेतु शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी न होना।
3. विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना।

4. छोटे बच्चों की देखभाल एवं घरेलू कार्यों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जा पाना।

5. व्यवसाय में हाथ बटाना।

6. शिक्षा की व्यावहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना।

7. लिंग भेद

8. क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा।

9. जाति विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शत प्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई है जिसके अन्तर्गत –

- सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
- महिला शिक्षकों का चयन (आचार्या के रूप में)
- विशेष समूहों हेतु योजना (अनुसूचित, अल्पसंख्यक)
- अध्यापक प्रशिक्षण
- निःशुल्क पुस्तक वितरण
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
- कार्यानुभव आधारित केन्द्रों का चयन
- एन0जी0ओ0 से सहायता
- विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा
- अनुसंधान

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण के लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, आधारभूत कार्यकर्त्ताओं संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार कर एक आदर्श संकुल विकास अधिगम द्वारा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन या

वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना है। द्वितीय चरण में बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव को केन्द्रित करना है। संकुलों के चुनाव का मापदंड

1 महिलाओं की शिक्षा दर कम है।

2. बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव।

3. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यकों के जन समुदाय की अधिकता।

4. 10–12 गाँवों का संकुल

आयोजनात्मक क्रियायें :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएं की जायेंगी, जैसे कि संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयको सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास अधिगम द्वारा बांटना।

2. उन केन्द्रों/दलों को पहचानना जो कि प्रत्यक्ष रुप से सकुल के साथ गतिविधियों में कार्यरत है।

3. गाँव के निरीक्षण द्वारा ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों एवम् मुख्य व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

4. गाँव के मुख्य व्यक्ति में शिक्षकों एवम् ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

5. गाँव की बैठकों का आयोजन।

6. बालिकाओं की शिक्षा के लिये पी0आर0ए0 तथा घर सर्वेक्षण करने के लिये विशेष प्रशिक्षण।

7. घरों के सर्वेक्षण/पी0आर0ए0 द्वारा एकत्रित ऑकडों व ग्राम् विकास् की विशेष योजनाओं के ऑकड़ों की तुलना।

8. इस अभिगम में गांव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता।

9. कक्षा में होने वाली गतिविधियों में बालिका शिक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुश्रवण में समन्वयकों में जेन्डर संवेदनशीलता का विकास।

10. इस आगमन के आरम्भ से ही एक समयबद्ध योजना को कार्यान्वित किया जायेगा और उसके आधार पर गतिविधियों का क्रम निश्चित किया जायेगा।

केन्द्र दल :-

संकुल स्तर केन्द्र दल की स्थापना की जायेगी बालिकाओं की शिक्षा के लिये जिला समन्वयक, संकुल समन्वयक के अतिरिक्त महिला एवं युवा सदस्यों को भी लिया जायेगा। केन्द्र दल के दैनिक कार्यों में जिला परियोजना अधिकारी सहायता करेंगे।

केन्द्र दल को स्थापित करने में निम्न बातों का ध्यान दिया जायेगा :-

– जिन व्यक्तियों का माडल समूह अभियान से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना।

– संकुल के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात् चुने हुए संकुलों में संगठनात्मक एवं नामांकन अभियान चलाया जाना।

नामांकन अभियान के अन्तर्गत निम्न विधायें अपनायी जायेंगी –

– पद यात्रा, प्रभात फेरी
– नुक्कड़ नाटक
– बैठकें
– घर–घर जाकर प्रोत्साहित करना।
– मीना अभियान
– माँ–बेटी मेला
– महिला संसद

इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य :-

– गाँव में बालिकाओं की शिक्षा वर्तमान स्थिति तथा बालिकाओं के नामांकन को सुधारने के लिये समुदाय पर प्रभाव ।

– घरों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह निर्धारित करना कि बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है।

– विद्यालय के वातावरण व विद्यालय प्रबन्धन साधनों को सुधारना।

– विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी तथा विद्यालय एवं समुदाय के पारस्परिक मेल जोल का संस्थाकरण।

5. ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय उपस्थिति।

6. सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्तियों की उपस्थिति।

आयोजनात्मक क्रियाएँ :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएँ की जायेंगी हैं जैसे संकुलों की पहचान –

ब्लाक एवम् संकुल समन्वयकों सहित जिला टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बॉटना

3. नामांकन के पश्चात् ठहराव हेतु कदम उठाये जाने चाहिये -

1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जायगा।

2. समय को लचीलापन बनाया जायेगा जिससे अधिक संख्या में बालिकाओं का नामांकन हो सके।

3. आई0सी0डी0एस0 की मदद से या नए शिशु केन्द्रों को खोला जायेगा।

4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जायेगा।

5. संकुल पर प्रतिमाह बैठक में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जायेगा साथ ही उन्हें दूर करने के कदम उठाये जायेंगे।

6. विद्यालयों में विशेष आयोजन किये जायेंगे।

7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये मातः शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित.सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

ठहराव परिक्रमा तथा ताराकंन

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

  – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

  – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

  – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेंगें।

- सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामाकंन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

67 B

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

प्रारम्भिक बाल देख रेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ है। प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना। दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को छोटे भाई बहनों को देखरेख से मुक्त कर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करना है जिसमें लगभग 40 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

रणनीतियाँ

कनवर्जेन्स–समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना, प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित करना।

अन्य शिविर

ग्रीष्म कालीन शिविर की उपयोगिता को देखते हुए इसे भी कार्य योजना में शामिल किया गया है। चिन्हांकित शालात्याग बस्तियों की बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे जो कि संख्या के आधार पर एन0पी0आर0सी0 या बी0आर0सी0 स्तर पर होगें।

साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत –

- आने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने के उपाय एवं उनका समायोजन।
- व्यक्तित्व विकास
- नेतृत्व क्षमता का विकास
- वाणी–सम्बोधन क्षमता का विकास

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन की होगी। प्रशिक्षण हेतु परीक्षक को बुलाया जायेगा एवं सम्मान स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव

जनपद में चिन्हांकित बस्तियों की शालात्याग दर अधिक है जो चिन्ता का विषय है। इन बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देने का कारण प्रायः इनके माँ बाप होते हैं। जो इन्हें

अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते है। ऐसी बालिकाओ के लिए जनपद ने अपनी कार्य योजना में कार्यानुभव आधारित वैकल्पिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करने हेतु आधुनिक संचार व्यवस्था का उपयोग, प्रोत्साहन एवं रुचि संवर्धन हेतु जिला कार्य योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव किया है। आने वाले वर्षों में इसकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में पांच करने की है। इटावा नगर के कुछ क्षेत्र में बालिकाएं सिलाई कढ़ाई, बुनाई, आदि का कार्य करती है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम कार्यानुभव के रूप में सम्मिलित किए जायेंगे।

योजना को सफल बनाने के लिए मानक के अनुरूप धन का प्रावधान है, जिसका उपयोग किया जायेगा। जिसमें अनुदेशक का चयन किया जायेगा जो कि कम्प्यूटर एवं शिल्प कलाओं में प्रशिक्षित होंगे उन्हें मानक के अनुरूप मानदेय दिया जायेगा। साथ ही तैयार माल वहीं केन्द्रों पर बेचा जायेगा। प्राप्त राशि को प्रोत्साहन स्वरूप बालिकाओं में वितरित किया जायेगा। जिससे बालिकाओं की शालात्याग दर शून्य हो जायेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण -

बालिका शिक्षा एवं समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनायें रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई गईं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के साथ-साथ उच्च प्रथिमिक स्तर पर भी अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं तथा अन्य सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रति छात्र-छात्रा 150 रु0 की दर का प्रावधान है। जिसमें वर्ष 2000-2001 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं की संख्या 75366 है, एवं अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या 21940 है। वर्ष 2010 तक अनुमानित लाभार्थियों की संख्या को अग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु छात्रों की अनुमानित संख्या

वर्ष	अनुसूचित बालक		अनुसूचित बालिका		अन्यवर्ग बालिका		योग	
	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0
2001	13164	8775	12151	8002	33067	22046	58382	37924
2002	13453	8970	12418	8280	33795	22530	59666	39780
2003	13722	9149	12691	8462	34538	23026	60951	40637
2004	14024	9350	12971	8648	35298	23533	62293	41531
2005	14332	9556	13256	8838	36075	24050	63663	42444
2006	14648	9766	13548	9033	36868	24580	65065	45379
2007	14970	9981	13846	9231	37679	25120	66495	44331
2008	15300	10200	14151	9432	38508	25673	67959	45607
2009	15636	10425	14462	9642	39355	26238	69453	46305
2010	15980	10954	14780	9854	40221	26815	70981	47323

समेकित शिक्षा- विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालय में नहीं लाया जाता है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी है। जनपद इटावा में 1015 बच्चें विकलांग चिन्हित किये गये है। नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।

समस्यायें

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। बच्चों की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं।

बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति। देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई। हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है जैसे – माता पिता के स्नेह में कमी। बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक का बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी, चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विश्लेषण

विश्लेषण से ये तथ्य उभरकर सामने आते हैं जैसे अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्कता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकतायें / कार्य योजना :-

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय, परिवार एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :-

1– समुदाय का संवदीकरण– इसके अन्तर्गत जन समुदाय को भ्रांतियों को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2– सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलांगता अभिशाप नहीं है। हमें ऐसे बच्चों को दया नहीं सहयोग देना चाहिये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3– अध्यापकों का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा है कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

1. ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देख–रेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराया जायेगर। अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। बैठक में जाँच दल का चुनाव किया जायेगा।

2. चिकित्सा दल चुने हुए स्कूल के अध्यापक-अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जाँच पर विचार-विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3. तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेंगे।

4. विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा।

5. विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

6. उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करायी जायेगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा-

1- राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2- एलिम्को, जी0टी0 रोड, कानपुर - 208 016

3- अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा, विकास मार्ग दिल्ली।

4- मंगलम, ए-445, इंदिरा नगर लखनऊ

5- यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद

7. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे :-

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों के समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जायेगी गई है। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों का अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का है किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ सीमिति गतिविधियों तक ही रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यह एक नवीन चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रति बद्धता है।

प्रत्येक जिले में से उत्कृष्ट कार्य के लिए एक ग्राम शिक्षा समिति को प्रोत्साहन स्वरूप 25000/- रुपये का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा-व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

विश्लेषण :-

जनपद इटावा पूर्व में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। उस क्रम को बनाये रखने एवं शेष एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

आकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी जिसमें बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं/कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस कार्य योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाँव के शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरूप

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000 के अन्तर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा- .

1	प्रधान	अध्यक्ष
2	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव
3	3 अभिभावक	छात्रों के तीन अभिभावक, जिसमें एक महिला होगी। (सा0बे0शि0अधि0 द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

उत्तरदायित्व :

1- शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2- पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन।

3- शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण :-

(1) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(2) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के आध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझे जाएं।

(3) शिक्षामित्र एवं आचार्य जी के चयन का अधिकार।

(4) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

1- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।

2- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।

3- विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के आधार के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।

4- आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

5- अन्तर्राष्ट्रीय सामञ्जस्य सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन, जुटाने के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना :-

(1) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।
(2) आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।
(3) नये विद्यालय का निर्माण तीन माह में सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।
(4) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।
(5) वित्तीय संसाधन जुटाना।
(6) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।
(7) प्राथमिक विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना। जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।
(8) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व बालिकाओं और अपवंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।
(9) विशिष्ट आवश्कता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।
(10) स्कूल के बाहर के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं बाल मजदूरों की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना।
(11) शिक्षक मातृसंघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।
(12) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना। समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्कतानुसार सहायता, दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।
(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना।
(14) ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर बच्चों का नमांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
(15) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित हेल्थ चैकअप करवाना, तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।

(16) युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूल की सफाई, निर्माण आदि में श्रमदान करके सहयोग दे सकें।

(17) कक्षा में इमला लिखवाना, जोर से पढ़वाना, गृहकार्य एवं जांच कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।

(18) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का वितरण करना।

(19) शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों–मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने, बढ़ई गिरी, लुहार गिरी के कुशल कारीगरों, अच्छे कहानी वाचक, गायक, वादक, कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिए बुलाया जाय इससे बच्चों के दृष्टिकोण में कार्य की महत्ता पहचानने में बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की संदर्भ व्यक्ति के रूप में पहचान कर सूची बना ली जायेगी।

(20) प्राथमिक विद्यालय में दस–दस पुस्तकें प्रति कक्षा रखकर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी एवं इन पुस्तकों को सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वितरित किया जायेगा।

शिक्षा के वातावरण निर्माण के लिए निम्न कार्यवाही की जायेगी :-

(1) जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों, मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा।

(2) समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।

(3) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।

(4) गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवा कर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(5) पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

(6) बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों आदि को दूर किया जायेगा।

(7) बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है– अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।

(8) सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उहारण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन।

(9) विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

(10) क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाल मेलों, प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/वीडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा।

(11) अन्तर्वर्कशीय/अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।

(12) स्कूल चलो अभियान आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(13) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना। बालिकाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान मीना फिल्म, प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता।विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। अभिभावक–शिक्षक बैठकों का अयोजन कराये जायेंगें।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गांव के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार–समाचार–पत्र, नारे लेखन, महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे, सूक्तियाँ, विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

(15) नारे व सूक्तियों का निर्माण, 'आकर्षक स्कूल भवन' रख–रखाव, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं–लेखन, सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं काआयोजन कराया जायेगा।

(30) छात्रों में गणवेश, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, नाखून काटना, स्वच्छ दांत, प्रतिदिन स्नान करना बालों की स्वच्छता एवं विन्यास, जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगिताएं आयेाजित करायी जर, यसेंगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जयेगा -

स्वास्थ्य विभाग :-

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जगारुक करना।ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना। गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहाँ दवाइयाँ, ओ0आर0एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियाँ आदि आसानी से मिल सकें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, जांच, टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाना।

महिला एवं बाल विकास विभाग :-

यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर खुलवायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फौलिक ऐसिड गोलियां दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग :--

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण–पत्र बनवाये जायेंगे और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

श्रम विभाग –

श्रम विभाग के सहयोग से 6–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करायी जायेंगी। इन बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

जल विभाग –

खराब हैन्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था करायी जायेगी।

वन विभाग –

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग –

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

आपूर्ति विभाग –

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

महिला समाख्या –

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सहयोग लिया जायेगी।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–9
गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु परियोजना

शैक्षिक गुणवत्ता का परिदृश्य–

इटावा जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और सम्बर्द्धन करने के लिये गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान औरैया के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 08 बी.आर.सी. तथा 75 एन.पी.आर. सी. की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। अविभाजित जनपद इटावा में अकादमिक सहयोग डायट औरैया द्वारा प्रदान किया गया था तथा अब भी यह सहयोग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। किन्तु जनपद स्तर पर डायट स्थापित किया जाना आवश्यक है।

बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन तथा 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों का नामाकंन, ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति था। जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु डायट, विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये। सभी का लक्ष्य था कि विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार हो सके। जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियॉ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है ।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन प्रदान करने हेतु डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डाएट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डाएट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं । कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण को प्रभावी बनाने

की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग–समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार–विमर्श किया जाता है । डाएट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है । पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं । तदुपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा :

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों में स्कूल रेडीनेस लाने और बालिकाओं का नामांकन तथा ठहराव बढाने हेतु शिशु शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 30 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में

भागीदारी में वृद्धि हुई।

4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्रभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता हैं।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति; जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद इटावा में डायट के नेतृत्व में 416 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में

स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान **'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास'** नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा है । ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गॉव की सम्पत्ति मानने लगे हैं । विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है । प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता है ।

बी.ई.पी. में स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की स्थिति नगण्य थी वहीं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर स्कूल की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी को प्रशिक्षित कराया गया जिसके फलस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल की गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग एवं सहभागिता देखने को मिली वही शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार आया। बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग जरूरी है बिना परिवार के सहयोग से बालक की शिक्षा सही नही हो सकती। जब तक माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नही होगा उनमें शिक्षा के प्रति रूचि एवं जागरूकता दिखाई नहीं देगी। बच्चे की शिक्षा अपेक्षित स्तर की संभव न हो सकेगी, अतः नामांकन के दृष्टि कोण से जनसम्पर्क अभियान चलाया गया। शिक्षकों द्वारा घर–घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क किये गये जिससे पढ़ने का वातावरण बना। अधिकांशतः देखने में आया है कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अभिभावक अभी भी उदासीन हैं। बालिकाओं का ड्राप आउट रूक सके इसके लिये कार्यवाही की आवश्यकता है तथा उपाय करने होंगे। समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा ,रूचि जागरूकता भरनी होगी । ऐसा प्रयास ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये आवश्यक होगा।

बी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों के प्रति सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ सके इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये

दक्षता आधारित प्रशिक्षण प्रतिवर्ष चलाया गया। बच्चों का बौद्धिक स्तर आगे बढ़ सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की दक्षता, क्षमता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जनपद में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु आयोजित किये गये हैं। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं। इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो।

प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं – प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय और स0 अ0 के लिए 8 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के दूसरे चक्र में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। भाषा की प्रमुख दक्षताऐं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बच्चों में स्वपठन् की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के तीसरे चक्र के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के चौथे चक्र में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक

संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के पाँचवे चक्र में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रुचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण भी 6 दिवसीय था।

बी. ई. पी. में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्रथम चक्र : उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की तीनों शाखाओं (अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित) के शिक्षण को सरल, रूचिकर और बोधगम्य बनाकर कक्षा–कक्ष में सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को गणित विषय का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

द्वितीय चक्र : विज्ञान की तीनों शाखाओं से सम्बन्धित विषय सामग्री को चित्रों, चार्टो एवं प्रयोगात्मक उपकरणों के द्वारा कक्षा–कक्ष में सरल, रोचक एवं बोधगम्य शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों से उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को विज्ञान शिक्षण का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था।

शैक्षिक गुणवत्ता संबर्द्धन हेतु शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर हुआ जिसमें इटावा के विकास खण्ड स्तर के समन्वयक तथा न्याय पंचायत स्तर के सम्न्वयक, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही साथ विगत वर्षो में बच्चों के नामांकन में और अधिक वृद्धि हो सके इस हेतु ग्रामीण स्तर से लेकर जनपद स्तर तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चलाया गया।

शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रकार के मैटेरियल मेलों का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें गोष्ठियां आयोजित की गयीं। विजिनिग कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि लोगों की मानसिक स्थिति में

जिनका अनुभव 15 से 20 वर्ष है तथा 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले 31 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षकाएं हैं

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखते है को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण नवाचार के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सम्भव है।

कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षकों को रु0 500 वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं और उनका कक्षा में उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा डायट स्तर पर **मैटीरियल मेले** का आयोजन किया गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और कक्षा–शिक्षण में शिक्षण–सामग्री का समुचित उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था

शिक्षकों को सहयोग समर्थन देने हेतु डायट स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के अन्तर्गत विविध कार्यनीतियाँ अपनाई गई। इसके लिये विशेष बल देने हेतु डायट औरैया स्तर पर पटनी सहारनपुर पैकेज के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाए आयोजित की गई इसमें समस्त विकास खण्डों के समन्वयक, सहसमन्वयक एन0पी0आर0सी0 प्रभारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों एवं डायट प्रवक्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया।

विभागीय निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक/प्राथमिक एवं अन्य शैक्षिक स्तरों के अकादमिक पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसमें डाइट बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 द्वारा जागरूकता के साथ अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया है। इनका विभागीय निर्देशानुसार श्रेणीकरण भी किया गया तथा वांछित श्रेणी में लाने हेतु उन्हें विशेष मार्गदर्शन तथा शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। समन्वयक द्वारा मासिक बैठकों में अपने अपने विकास खण्डो की शैक्षिक समस्याओं को जाना गया तथा उनका आपसी विचार–विमर्श से निस्तारण किया गया। इस व्यवस्था से निचले धरातल पर शिक्षकों को उचित सहयोग एवं समर्थन दिया गया। विद्यालयों की उनके प्रदर्शन के आधार पर जो ग्रेडिंग की गई, उससे गुणवत्ता स्तर की जानकारी मिलती है। निम्न सारिणी द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी 9.2

पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	ए.	बी.	सी.	डी.	उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	ए.	बी.	सी.	डी.
1.	अजीतमल	120	73	47	–	–	29	15	13	01	–
2.	इटावा	127	39	78	10	–	38	17	17	04	–
3.	भाग्यनगर	119	42	70	6	1	28	12	16	–	–
4.	सहार	92	44	48	–	–	25	13	12	–	–
5.	अछल्दा	101	48	49	4	–	30	15	13	02	–
6.	एरवाकटरा	99	64	31	4	–	22	10	12	–	–
7.	बिधूना	112	33	63	13	3	20	8	11	01	–
8.	नगर क्षेत्र इटावा	–	–	–	–	–	01	01	–	–	–

स्रोत - डायट, औरैया

जनपद स्तर पर अकादमिक पर्यवेक्षण एवं प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने जाने के रूप में पर्यवेक्षक का कार्य डायट स्तर से लेकर एन0पी0आर0सी0 तक संचालित किया गया। जिसके प्रमुख घटक निम्न रहे–

1. आदर्श पाठ योजना के आधार पर शिक्षण कार्य पर बल देना।
2. शासन से प्राप्त अनुदान रूपया 500 द्वारा सहायक सामग्री निर्माण का कक्षा शिक्षण में अपनाये जाने पर बल दिया जाना।
3. गणित विज्ञान जैसे दुरूह विषय के लिये कक्षा शिक्षण के समय किटों के प्रदर्शन पर विशेष बल।
4. दक्षता आधारित शिक्षा पर बल।
5. खेल परक शिक्षा पर बल।
6. समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य पर बल।

किन्तु अभी भी सुधार की पर्याप्त संभावना है यथा निम्नांकित बिन्दुओं के प्रति उपाय और व्यवस्था की जरूरत है :–

1. विषय शिक्षण के लिये समय का महत्तम उपयोग किये जाने पर बल।
2. लर्निंग कार्नर तथा टी0एल0एम0 के प्रयोग पर बल।
3. कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन पर बल।
4. क्रियात्मक शोध के माध्यम से समस्या निदान पर बल।
5. नई तकनीकी शिक्षा एवं उसके उपयोग पर बल।

7. बच्चों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल।

8. पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के आधार पर कक्षा शिक्षण पर बल।

स्कूल ग्रेडिंग के आधार पर जो स्थिति उभर कर आयी है उसे उपर्युक्त सारिणी द्वारा दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी है जिनका प्रदर्शन स्तर अच्छा नही है और उन्हें सुधार कर बी. ए श्रेणी में लाना होगा। इन पिछड़ने वाले विद्यालयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और इन्हें पृथक अतिरिक्त सहयोग समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को किस तरह का शैक्षिक समर्थन आवश्यक है, इसका बोध और पर्याप्त क्षमता बी0 आर0सी0 स्तरीय कार्यकताओं को इस द्रष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली में मकतब मदरसों हाईस्कूल इन्टर कालेज की कक्षा 6–8 कक्षाओं को भी शामिल किये जाने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो इसके लिये उपाय की आवश्यकता है ।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर :

जनपद में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन समय–समय पर किया गया है। बेस लाइन का प्रथम सर्वेक्षण 93–94 के अन्तिम मासों में सम्पन्न कराया गया। और अन्तिम मूल्यांकन का कार्य वर्ष 2000 में कराया गया। जिसके निष्कर्ष बिन्दु निम्न हैं।

1. प्रथम बेस लाइन सर्वे की अपेक्षा अन्तिम मूल्यांकन सर्वे में देखने में आया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाये गये।
2. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता व मूल्यांकन दर में प्रगति हुई है।
3. शिक्षण साम्रगी के लिये कार्य तो किया गया लेकिन उपलब्ध कराये गये धन का समुचित प्रयोग देखने का नहीं मिला।
4. शैक्षिक गुणवत्ता की वृद्धि उच्च कक्षाओं में देखने को मिली लेकिन कक्षा 1 में अपेक्षाकृत सुधार कम हुआ।
5. मानक के अनुसार शिक्षण व्यवस्था देखने में नहीं मिली
6. विद्यालय उन्नयन में समुदाय की सहभागिता कम दिखाई दी।
7. अभिलेखों का रखरखाव पूर्ण किया गया किन्तु कार्य विधिवत् संतोषजनक नही मिला।
8. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में अपेक्षित प्रगति देखने को नही मिली है।
9. परम्परागत मूल्यांकन कार्य किया गया। किन्तु आधार भूत मूल्याकंन व्यवस्था में कमी देखने को मिली।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 3 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	616	87.59	10.92	616	85.49	13.23
कक्षा 5	643	89.50	7.66	643	87.72	9.57

सारणी संख्या 3 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत तथा मानक विचलन 10.92% है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत एवं मानक विचलन 13.23% है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 89.50 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 7.66 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 87.72 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.57 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 4 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	323	87.00	11.70	323	88.20	10.00
गणित		86.00	12.80		85.00	13.70

सारणी संख्या 4 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 87.00 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 86.00 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.20 प्रतिशत तथा गणित में 85.00 प्रतिशत है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	339	90.2	7.3	339	88.7	8
गणित		88	9.9		87.4	9.2

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 90.2 प्रतिशत जबकि गणित में 88 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 88.7 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	275	87.70	8.80	341	87.50	12.40
गणित		86.20	11.50		85.70	10.50

सारणी 6 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 87.70 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 87.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 86.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.50 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 85.70 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.50 है।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि (एफ.ए.एस., 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	291	88.6	7.7	164	89.2	8.9
गणित		86	9.5		88.8	9.2

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 88.6 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 86 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.8 प्रतिशत है।

सारणी 8 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	583	50.05	29.85	666	39.40	27.25	616	87.59	10.92
गणित	583	24.43	33.42	666	46.35	32.14	616	85.49	13.23

सारणी 8 दर्शाती है कि कक्षा–2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 39.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 50.05 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 24.43 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46.35 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 9 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	680	40.20	14.44	611	42.86	9.69	643	89.50	7.66
गणित	680	30.40	14.25	611	32.25	9.33	643	87.72	9.57

सारणी 9 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 42.86 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 89.50 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 30.40 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 32.25 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 87.72 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार जनपद इटावा में वर्ष 2000 में क्लास रूम आबजर्वेशन स्टडी करायी गयी (एस.सी.ई. आर.टी. द्वारा)जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है–

प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा के गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए क्लास रूम आबर्जवेसन स्टडी सर्वे एस0सी0ई0आर0टी0 के विशेषज्ञों द्वारा तैयार टूल्स तथा (सिस्टम) तंत्र के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षण गति विधि को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में इस सर्वेक्षण में मापने का प्रयास किया गया। प्राकृतिक रूप का अभिप्राय है कि दिन प्रति दिन के शिक्षण में जिस प्रकार शिक्षण गति विधि अपनाई जाती है वह मूलतः उसी रूप में मापी जा सके ऐसा न होने पाये कि अध्यापक पर्यवेक्षण के समय अपने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में पर्यवेक्षण के दिन/समय कक्षा शिक्षण के सुधार लाने के दृष्टि से कक्षा को बनावटी या अप्राकृतिक बना ले।

इस अध्ययन में अध्यापक छात्र के बीच शिक्षण गतिविधियों के अलावा यह भी आयोजन किया गया के छात्र अध्यापक की सहभागिता कितनी स्पष्ट है। बालिकाओं तथा विशिष्ट बच्चों जैसे विकलांग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अध्यापक कितना सजग है।

शिक्षकों के बारे में:–

शिक्षकों के बारे में क्लास रूम आबजर्वेशन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ देखने को मिली।

1. गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य 60 प्रतिशत के लगभग देखने को मिला।
2. 80 प्रतिशत समयबद्धता भी अधिकांश विद्यालयों में देखने की मिली।
3. कक्षा शिक्षण के प्रति सजगता 60 प्रतिशत अध्यापकों में देखने को मिली।
4. 50 प्रतिशत सहायक सामग्री का उपयोग भी देखने को मिला।
5. 10 प्रतिशत ऐसे भी अध्यापक पाये गये जिससे ऐसा पता चला कि वह वादन का समय किसी तरह व्यतीत करना चाहते हैं।

कक्षा की प्रक्रिया के बारे में:–

1. क्रिया आधारित जिज्ञासा कम देखने को मिली
2. विद्यालयों के अध्ययन से कुछ विद्यालयों में यह भी देखने को मिला कि जिन कक्षाओं का आब्जर्वेसन किया जाना था उन कक्षाओं के बच्चों को दूसरी कक्षा के बच्चों से अलग कर टूल्स भरना संभव हो पाया।
3. छात्रों द्वारा डायरेक्टिंग यानी सिस्टम कोड 18 में बच्चे लगभग न के बराबर पाये गये।
4. जागरूकता लड़को में 42 प्रतिशत बालिकाओं में 35 प्रतिशत देखने को मिली

शिक्षण विधियों के बारे में:–

1. नवाचार युक्त शिक्षण विधियों का उपयोग देखने को कम मिला।
2. उचित गुणवत्ता की शिक्षण विधियाँ प्रायः कम पायी गयी।
3. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता शिक्षण विधियों में कम पायी गयी।

शिक्षण सामग्री के बारे में :–

1. सहायक साम्रगी कक्षा में 60 प्रतिशत देखने की मिली
2. 50 प्रतिशत दृश्य सामग्री का उपयोग देखने को मिला।
3. 50 प्रतिशत अध्यापकों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव पाया गया।
4. विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता प्रशिक्षण के अनुरूप प्रायः कम देखने को मिली।

शिक्षण सामग्री का उपयोग:–

डायट द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान प्रायः ऐसा देखने में आता है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण में कम हो रहा है। रुपया 500/– शासन द्वारा प्रतिवर्ष सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जाने के बाद भी इसका सही व समुचित उपयोग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जिसके लिये डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं/ बी0आर0सी0 समन्वयकों/न्याय पंचायत स्तर के समन्वयकों द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है कक्षा शिक्षण के समय वांछित सहायक सामग्री के प्रदर्शन पर आवश्यक बल दिया जाये यदि ऐसा नही होगा तो विषयवस्तु स्पष्ट नहीं हो पायेगी।

प्रायः ऐसा देखना में आया है कि गरीब परिवार के बच्चे विद्यालय में न जा कर बाल मजदूरी, खेती-बाड़ी तथा अन्य कारखानों में काम करते है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा मलिन बस्तियों को चिहिन्त कर इन बच्चों के लिए पृथक रणनीति और कार्यक्रम निश्चित करने की आवश्यकता है स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेकर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम तैयार कर चलाने की आवश्यकता है।

जनपद में स्कूलों कक्षाओं व शिक्षकों के विवरण को देखते हुए यह स्पष्ट है बहुकक्षा शिक्षण की समस्या अभी भी है जैसा कि सारणी–9.5 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी–9.5

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति–प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

विघालय स्तर	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या
प्राथमिक स्तर	210	264	151	101	55	72
उच्च प्राथमिक स्तर	07	17	28	24	35	33

स्रोत– बे. शि. अ., इटावा

प्राथमिक स्तर के एकल विधालयों का प्रतिशत 14 है ।, दो शिक्षक विधालयों का प्रतिशत 34 है तीन शिक्षक विघालयों को प्रतिशत 22 है चार व पांच शिक्षकों वाले विद्यालय क्रमशः 7 व 9 है पाँच से अधिक शिक्षकों का प्रतिशत 11 है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ बहुकक्षा शिक्षण विधा के अपनाने पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 3.3 है। दो शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 13.53 है। चार शिक्षक विद्यालय संख्या का प्रतिशत 11.59 है। पाँच शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 16.91 है।

पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 15.94 है। बहुकक्षा शिक्षण विधा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। विशेष विषयों जैसे– उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिये अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर छात्रांकन को मद्देनजर रखते हुए नवीन नियुक्तियाँ की गई। किन्तु अभी भी शिक्षकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण स्थिति बनी हुई है इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारण भी उत्तर दायी सिद्ध हुए है। डायट स्तर पर भी आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षकों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षण करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकी एवं विधाओं से परिचित कराया गया। जिसका प्रभाव विद्यालयों में बच्चों पर अनुकूल पड़ा। सभी कक्षाओं के बच्चे किसी न किसी शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहते पाये गये, किन्तु अभी भी यह अनुभव किया गया है कि शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण स्थिति को ठीक से संभाल नही पाते। सार्थक शिक्षण/अनुभव नहीं दे पाते। अतः इस दृष्टि से प्रशिक्षण देने और सामग्री विकास की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/गणित शिक्षकों का अभाव

विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम से यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन एवं कक्षा तथा विषय के अनुसार शिक्षकों की कमी है। विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का अभाव है। इस दिशा में विभाग द्वारा विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की पूर्ति होना नितान्त आवश्यक है जिसमे बच्चों की गणित एवं विज्ञान विषयों में अधिगम स्तर सुधर सके । प्रायः निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि बहुत से शिक्षक विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता नही रखते है फिर भी व्यवस्था के तौर पर उन्हें उक्त विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। फलस्वरूप किसी न किसी स्तर परे विषयगत कठिनाई अनुभव करते है। जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के अधिगम पर पड़ता है इस दृष्टि से निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं :

शिक्षक विद्यालय में कार्य करने के दौरान जिन समस्याओं को अनुभव करते हैं/सामना करते है उनकी जानकारी स्कूल भ्रमण और पर्यवेक्षण के दौरान मिलती है ऐसी कुछ चुनौतियाँ/कठिनाइयाँ इस प्रकार है–

1. पुराने बी0टी0सी0 अध्यापक यद्यपि गणित–विज्ञान का शिक्षण करते तो हैं लेकिन प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते है। यही समस्या संस्कृत व अंग्रेजी विषयों के साथ भी हैं।
2. गणित, विज्ञान, अग्रेजी भाषा के शिक्षण में अध्यापक पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु के प्रति संज्ञानात्मक रूप से अनभिज्ञ या अल्पज्ञान प्रदर्शन करते पाये जाते है जिससे यह स्पष्ट होता है- कि उन्हें पढ़ाये जा रहे विषय वस्तु के सम्बन्ध में शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर प्रभावी शिक्षण दिया जाय।

इस प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष की कमी से अध्यापक विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते है जो कि सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में अभिवृद्धि करने और गुणवत्ता प्रदान करने से सहायक होती है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते हैं कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से आते है वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते है। उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बहुत कम/मानक से कम होता है।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह बात संज्ञान में आती है कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सन्तोष जनक स्थिति की न होने की चर्चा की जाती है! यह कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है किन्तु तथ्यों की परिवेशीय शैक्षिक/परिस्थितियाँ अनुकूल एवं सकारात्मक न होने से विद्यालय में रहकर बच्चे जितना सीख पाते हैं, अधगमित विषय वस्तु विस्मृत कर बैठते है। फलतः उनका अधिगम स्तर धीरे–धीरे न्यून हो जाता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये एक समस्या के रूप में सामने आता है। उक्त परिस्थितियों वश प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नही होती है। आज के वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सवर्द्धन हेतु शिक्षकों से समुदाय की काफी अपेक्षायें है। जिससे शिक्षा के गिरते स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके।

समुदाय अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों से इस बात की अपेक्षा रखता है कि हमारे समुदाय के बच्चों का शैक्षिक स्तर गुणात्मक हो। समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक नैतिक गुणों से भरपूर हो इसके लिये सभी शिक्षक समय से विधालय आयें। पूरे समय तक विधालय में रुक कर पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करें। समय–समय पर समाज के दिशा देने वाले विविध प्रकार के आयोजन करें। जिससे बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो और हमारा समाज/ समुदाय आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

प्रशिक्षण के दौरान बतायी गई विधियों की प्रभावकारिता अपेक्षित स्तर की दिखाई नही देती है। शिक्षक कक्षा में बच्चों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण में बताई गई विधि में सेएक या दो का ही प्रयोग करता है। मूल्यांकन की सतत् प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा नहीं अपनाई जाती है। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया का अनुपालन कराने में कठिनाई का अनुभव करते है। स्कूल कक्षा में जो प्रकिया दिखाई देती है वह कई तरह की कठिनाइ को उजागर करती है।

1. कक्षा में भीड़ ज्यादा है और शिक्षक उन्हें ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं।
2. सभी बच्चों पर शिक्षक का पर्याप्त ध्यान नही दे पा रहे है।
3. शिक्षण अधिगम सामग्री विषय वस्तु के अनुसार नही होती और ऐसी सामग्री नही रहती जिसे बच्चे भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सके।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद इटावा में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉड्यूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका लाभ शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन और फालोअप करते हैं।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन,
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका– संकुल स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रित बिन्दु एन.पी.आर.सी. है स्थानीय समुदाय के अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का

परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण, योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभ्रमण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण औरैया संस्थान के नेतृत्व में इटावा 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस. ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
3. प्रशिक्षण के उपरांत फालोअप खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथ सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

एसएस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण:–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद इटावा में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जनपद में इटावा में डायट की स्थापना की आवश्यकता है तथा इसे स्थापित किया जायेगा। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च

प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाये। इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विधाओं पर चर्चा होगी। नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लाक में भिन्न हो सकती है। इसलिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा। नियुक्ति के पश्चात सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों के लिए सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जाये, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा-मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा-मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ-साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे क्योकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यो का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान-गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह-समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डायट सुनिश्चित करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजीटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ

दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 37 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर .सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 37 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 37 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 38 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 38 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण

के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा इससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक– अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित

विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी, इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो

06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 217 शिक्षामित्रों तथा 162 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 54 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया

जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार 'आधारशिला' (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल

का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुवोध ात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस. एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी. पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू. एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतन उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना:–

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है

जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस रूप से में उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएं तथा विद्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन होता है। विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 165–175 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं। निम्नांकित सारणी 8.9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्तांहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :–

		प्राथमिक स्तर घंटा/समय	उच्च प्राथमिक घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	6 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	हिन्दी	6 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		9 घण्टे	10 घण्टे
सामाजिक विषय		6 घण्टे	6 घण्टे
सामाजोपयोगी कार्य		4 घण्टे	4 घण्टे
कला शिक्षण		2 घण्टे	2 घण्टे

स्रोतः डायट औरैया

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है। इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है। समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है।

शिक्षण दिवस मात्र 165–175 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है।

सारिणी 8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	175	165
परीक्षा	20	25
अन्य कार्य	15	20
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	---

स्रोतः डायट औरैया

उपर्युक्त सारिणी–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 175 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि शासन द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.29 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.93 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक

सदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षण संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 48 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यकम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर. सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त

अन्य विशेषज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इनमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत-पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला

स्तर पर डायट में करायी जायगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेंगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों को शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर 'क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी' भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अन्तर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार आवश्यक है। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन

प्रणाली विकसित की जायेगी।

एन.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिनुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण	30 दिन	
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागमन प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त	05 दिन

		करने वाले शिक्षक	
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–द श्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	हुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक / पूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला	डायट सदस्य शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी. सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षणं तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया

जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

0 सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।

0 विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।

0 वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।

0 समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।

0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

0 अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।

0 बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।

0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।

0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।

0 बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

0 प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

0 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

0 शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

0 विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।

0 वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

0 स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।

0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।

0 एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल का निर्माण :

जनपद के लिये सरल पाठ्यक्रम के विकास तथा बच्चों के लिये सप्लीमेन्टी रीडिंग मैटीरियल के विकास हेतु डायट द्वारा (गुइयां) नामक पुस्तिका का निर्माण किया गया इस हेतु इलाहाबाद व लखनऊ में डायट प्रवक्ता तथा जनपद इटावा/औरैया के लेखन कार्य में रुचि रखने वाले अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में डायट अजीतमल औरैया में भी कई कार्यशालायें कराई गई। पुस्तिका प्रिंटिंग हेतु तैयार है। प्रिंटिंग के लिये राज्य परियोजना कार्यलय को उपलब्ध करा दी गयी हैं। बजट के अभाव में पुस्तिका का मुद्रण संभव नहीं हो पाया है। पुस्तिका इटावा की क्षेत्रीय बोली में विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराई गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सप्लीमेन्टीरीडिंग मैटीरियल का विकास एवं डायट स्तर पर कराया जायेगा जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

डायट स्तर से शिक्षकों शिक्षा अधिकारियों तथा बी0आर0सी0 के लिये मासिक न्यूज पेपर (डायट दर्पण) का प्रकाशन नियमित रूपसे विश्व बैंक योजना के तहत होता रहा है भविष्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत डायट स्तर पर सतत् रूपसे यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

1– नगर क्षेत्रों में मलिन क्षेत्रों में रहने वालों बच्चों स्टीट चिल्ड्रेन के लिये शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सम्पन्न कराने हेतु सबसे पहले विचार विमर्श करके स्थान का चयन कराया जायेगा। तत्पश्चात् उनके प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था डायट स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

3– प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिये अभिनव कार्य उपकेन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थित अच्छे उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाई स्कूल इण्टरमीडियट में से किसी विद्यालय का डी0आई0ओ0एस0 व बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा चुनाव कर उनमें विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृणीकरण, उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आसपास के शेष प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से उनको जोड़कर विज्ञान शिक्षण के लिये सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

3– बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराने के लिये प्रत्येक अध्यापक को यह जिम्मेदारी सौंपी जायेगी कि वह अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर माह में एक बार सम्पर्क कर उसके उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसी क्रम में अभिभावक संघ का गठन किया जायेगा जिसकी वर्ष में दोबार बैठक सम्पन्न कराई जायेगी। जिससे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सन्निहित होगी।

<u>योजना निर्माण की प्रक्रिया :–</u>

योजना निर्माण की प्रक्रिया में निम्न घटकों का सहयोग लिया गया है जो इस प्रकार है–

(1) सर्व प्रथम जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की बैठक में विचार–विमर्श के दौरान विचारों का सहयोग लिया गया।

(2) फोकस ग्रुप डिसकशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर स्टाफ से विचार विमर्श किया गया। इसके

बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के अथक प्रयास एवं वार्ता के फलस्वरूप जो बिन्दु उभर कर सामने आये उन बिन्दुओं को निष्कर्ष रूप में चुना गया और योजना निर्माण में सम्मिलित किया गया।

(3) योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण एवं स्रोत के माध्यम को अपनाया गया है पर्यवेक्षण का कार्य डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा कराया जाता रहा है।

(4) स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं एवं समुदाय के सभी सदस्यों का योजना निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग लिया गया।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद इटावा में इस समय ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह ज़िले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद औरैया में चला गया है।इसलिये जनपद में नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजूकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रु. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को सुदृढ़ बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं दक्ष शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 सें वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सर्वा के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियेाजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०	राज्य परियोजना कार्यालय	एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साइमैट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बर्न्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भार्गीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान — सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्रायमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक वैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयें में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयें का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयें में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0सी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में दस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एफ एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है:-

❖ जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
❖ मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
❖ प्राचार्य डायट	-	सदस्य
❖ जिला श्रम अधिकारी	-	सदस्य
❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0)	-	सदस्य
❖ जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	-	सदस्य

❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)

❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होंगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में सें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी	
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्‌द्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तंगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

   यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रवंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0बी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रवंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

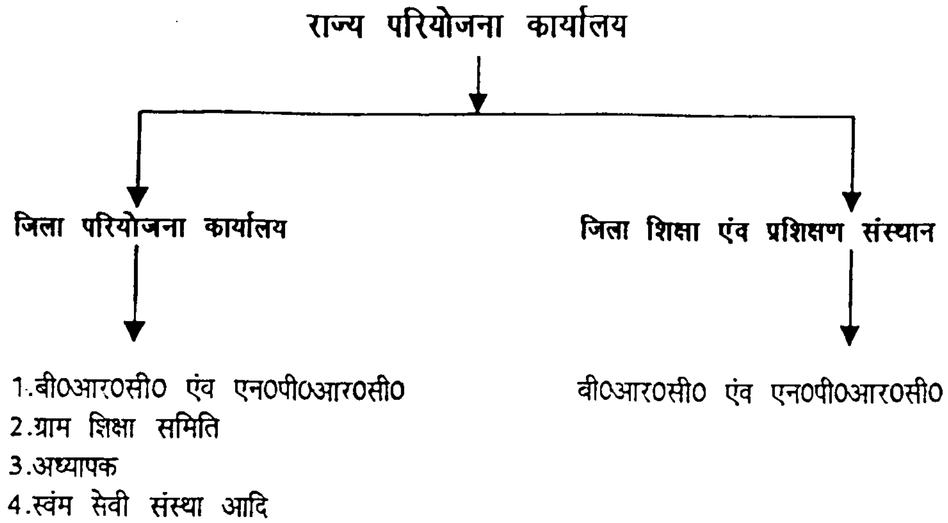

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district	1	50	1	25
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best BRC	7 Per Block	8	56	8	56
R12c	Award for Best BRC	5 Per Block	8	40	8	40
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	200	141	100	71
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	592	710	296	355
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	8	800	4	400
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1202	601	601	301
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school	1202	6010	601	3005
	Sub Total (B)		**8469**	**49181**	**6838**	**44815**
(Q)	**Quality Improvement**					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	57	120	29	60
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	57	24	29	12

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	250 (191+10+18+40)	30	7770	46	11914															76	19684
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	20	6760	40	13520	40	13520	50	16900											150	50700
2	Salary of PS Asstt Teacher/New School) 7+2 2=12=9 2	9.2	30	1656	76	8390	76	8390	76	8390	76	8390	76	8390	76	8390	76	8390	76	8390	638	68776
3	Salary of Teacher in UPS (4No) in new school 4A.M /school	7	80	3360	240	20160	400	33600	600	50400	600	50400	600	50400	600	50400	600	50400	600	50400	4320	359520
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	20	900	60	5400	100	9000	150	13500	150	13500	150	13500	150	13500	150	13500	150	13500	1080	96300
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			30	450	46	690													76	1140
	UPS	50			20	1000	40	2000	40	2000	50	2500									150	7500
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total		**181**	**20646**	**514**	**61234**	**703**	**67400**	**917**	**91390**	**878**	**75190**	**827**	**72490**	**827**	**72490**	**828**	**72690**	**827**	**72490**	**6502**	**606020**
A2	Upgradatgion of EGS (TLE) to PS	10																			0	0
	Total		**0**	**0**	**0**	**0**															**0**	**0**
	Interventions for out of school children																					
A3	**Alternative School (EGS + AIE)**																					
	EGS																					

145

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	2280	1607	1840	1297	3440	2425	2500	1763	1200	846									11260	7938
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Upper Primary	1.0 per child	960	960	2160	2160	1800	1800	1200	1200	800	800	600	600							7520	7520
	Total		3241	2617	4001	3507	5241	4275	3701	3013	2001	1696	601	650	1	50	1	50	1	50	18789	15908
A4	Back to School Campaign	1.5 per child	150	225	200	300	175	263	150	225	150	225									825	1238
	Innovation in EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75	50	75	50	75	50	75											200	300
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		3622	23563	4766	65166	6169	72013	4818	94703	3029	77111	1428	73140	828	72540	820	72740	826	72540	26317	623516
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70	266	18620	285	19950	277	19390													828	57960
	Additional Teachers Primary School	7.7*12	57	2633	288	26611	427	39455	561	51836	756	69854	889	82144	921	85100	985	91014	1017	93971	5901	542618
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	34	340	31	310	25	250													90	900
	Rec. of Old PS	191	20	3820	21	4011															41	7831
	Rec of Old UPS	270	4	1080	5	1350															9	2430
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	33	594	40	720	30	540													103	1854
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			98	1960	27	540													125	2500
	Major	70			25	1750	12	840													37	2590
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	250	1250	300	1500	400	2000	250	1250	300	1500	400	2000	250	1250	300	1500	400	2000	2850	14250
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	265	10600	375	15000	331	13240													971	38840

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school					30	60	76	152	76	152	76	152	76	52	76	152	76	152	486	972
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school					20	40	60	120	100	200	150	300	150	300	150	300	150	300	780	1560
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	9	90	81	810
R6	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300							24	1800
R7	SUPW for girls	25 per school	2	50	4	100	4	100	4	100	4	100	8	200	8	200	8	200	8	200	50	1250
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	48 per centre	20	300	20	300	20	300													60	1080
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district			1	100															1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100									100	500
6	Additional Honorarium (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	20	90	20	90	20	90	20	90									100	450
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			20	30	20	30	20	30	20	30									80	120
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	20	60																	20	60
	Recurring	12			20	24	20	24	20	24	20	24									80	96

147

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R10	Community Mobilisation																					
1	MTA/PTA training	0.007	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	4160	291	37440	2619
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320	40	320					40	320	40	320							160	1280
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10			1	10					4	40
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10			1	10					4	40
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district	1	50					1	50											2	100
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best BRC	7 Per Block	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	72	504
R12c	Award for Best BRC	5 Per Block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	200	141	150	106	200	141	150	106											700	494
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	592	710	650	780	700	840	650	780	400	480	150	180							3142	3770

148

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Assistance of NGOs. For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	8	800	72	7200
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1202	601	1252	626	1338	669	1378	689	1428	714	1428	714	1428	714	1428	714	1428	714	12310	6155
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school	1202	6010			1338	6690			1428	7140			1428	7140			1428	7140	6824	34120
	Sub Total (B)		8469	49181	7884	77530	9480	87151	7429	57059	8833	82456	7360	87742	8478	96308	7162	95312	8722	105909	73817	738648
(Q)	Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	57	120	230	483	139	284	134	281	195	410	133	279	32	67	32	67	32	67	984	2058
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	57	24	231	97	139	58	135	57	195	82	134	56	32	13	33	13	34	13	990	413
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	30	13	46	19															76	32
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	20	8	40	17	40	17	50	21											150	63
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3552	2486	3783	2648	3922	2745	4057	2839	4252	2976	4386	3070	4418	3093	4451	3116	4485	3140	37306	26113
6	In Service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0

149

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Inservice training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	100	210	76	160	40	84													210	454
8	Refresher course for Shiksha Mitra (5 Days)	0.07 per person per day			57	60	287	301	426	447	560	588	755	793	888	932	920	966	952	1000	4845	5087
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			100	105	176	185	216	227											492	517
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	8	6																	8	6
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	75	53																	75	53
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	64	24
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			75	26	75	26	75	26	75	26	75	26	75	26	75	26	75	26	600	208
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	225	315
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	225	477
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	83	125	747	1125
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	17	6	153	54

150

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	271	271	291	291	331	331	371	371	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	3519	3519
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000							1	1000					1	1000			3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160					1	160					1	160					3	480
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10	1	10											4	40
10	Children leanng Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each			1	400							1	400							2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each			1	400							1	400							2	800
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
	Total		**103291**	**19091**	**106013**	**19363**	**108577**	**19117**	**111188**	**19820**	**113995**	**21295**	**116465**	**21511**	**118880**	**21245**	**121351**	**22467**	**123874**	**21857**	**1023634**	**185766**
	Subtotal (C)		**113110**	**23959**	**112651**	**24475**	**118565**	**24545**	**117263**	**24162**	**122782**	**25953**	**122130**	**26011**	**127835**	**25952**	**127044**	**26931**	**132962**	**26679**	**1094342**	**228667**
(C)	DIET																					
C1	Civil Work	5000																			0	0
1	Furniture	100																			0	0
2	Equipments (including audio visual)	300																			0	0
3	Computers Work Station	600																			0	0
4	Vehicle (where appkicable)	350																			0	0
5	Hiring	5																			0	0
6	POL	30																			0	0

152

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Maintenance of Vehicle	20																			0	0
8	Research/Action Research	200																			0	0
	Seminar	200																			0	0
9	Faculty Development	30																			0	0
	Publications	400																			0	0
10	Exposure visits	50																			0	0
11	Library	25																			0	0
12	Salary of Computer Operator	7																			0	0
13	Salary of Driver (where applicable)	4																			0	0
	Contingency	100																			0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10																			0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt Coordinator	5.5	8	264	8	528	8	528	8	528	8	528	8	528	8	528	8	528	8	528	72	4488
4	Chowkidar	3																			0	0
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
7	Maint of Equipment	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	72
8	Maint of Building	6	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	72	432
9	Books	10	8	80			8	80			8	80			8	80			8	80	40	400
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1202	361	1252	377	1338	401	1378	413	1428	428	1426	428	1428	428	1428	428	1428	428	12310	3692

153

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

(Rs. In Thousands)

S. No	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Consumables	5	8	40	8	40	8	40
12	Contingency	12	8	96	8	96	8	96
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	96	29	96	29	96	29
	Total		1354	966	1396	1166	1490	1270
C3	School Complex (NPRC)							
1	Construction	200						
2	Salary Coordinator	6.5						
3	Equipment/Furniture	10						
4	Books for Library/Book Bank	5	75	375			75	375
5	Contingency	2.5	75	188	75	188	75	188
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	75	180	75	180	75	180
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1202	240	1252	250	1338	268
	Total		1427	983	1402	618	1563	1011
C4	District Project Office							
	Staffing Coordinators - 4							
	Consultants - 2							
	AAO							
	Driver - 1							
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	852	1	852
	Equipment	50	1	50				
	Furniture & Fixtures	50	1	50				

S. No	Heads/Sub Heads Activity	2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Consumables	8	40	8	40	8	40	8	40
12	Contingency	8	96	8	96	8	96	8	96
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	96	29	96	29	96	29	96	29
	Total	1522	1202	1580	1297	1572	1217	1580	1297
C3	School Complex (NPRC)								
1	Construction								
2	Salary Coordinator								
3	Equipment/Furniture								
4	Books for Library/Book Bank			75	375			75	375
5	Contingency	75	188	75	188	75	188	75	188
6	Monthly Review meeting at CRC	75	180	75	180	75	180	75	180
7	Monitoring & Supervision (PS)	1378	276	1428	286	1428	286	1428	286
	Total	1528	644	1653	1029	1578	654	1653	1029
C4	District Project Office								
	Staffing Coordinators - 4								
	Consultants - 2								
	AAO								
	Driver - 1								
	(if vehicle is purchases)	1	852	1	852	1	852	1	852
	Equipment								
	Furniture & Fixtures								

S. No	Heads/Sub Heads Activity	2008-2009		2009-2010		Total	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Consumables	8	40	8	40	72	360
12	Contingency	8	96	8	96	72	864
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	96	29	96	29	864	261
	Total	1572	1217	1580	1297	13646	10929
C3	School Complex (NPRC)						
1	Construction					0	0
2	Salary Coordinator					0	0
3	Equipment/Furniture					0	0
4	Books for Library/Book Bank			75	375	375	1875
5	Contingency	75	188	75	188	675	1692
6	Monthly Review meeting at CRC	75	180	75	180	675	1620
7	Monitoring & Supervision (PS)	1428	286	1428	286	12310	2464
						0	0
	Total	1578	654	1653	1029	14035	7651
C4	District Project Office						
	Staffing Coordinators - 4						
	Consultants - 2						
	AAO						
	Driver - 1						
	(if vehicle is purchases)	1	852	1	852	9	7242
	Equipment					1	50
	Furniture & Fixtures					1	50

154

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Books	10	1	10			1	10			1	10	1	10			1	10			5	50
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																			0	0
	Motorcycle	50	12	600																	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Honorarium to JE/AI	6 Per Block	8	576	8	576	8	576													24	1728
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	POL for Motorcycle	12x4	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	36	432
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1202	190	1252	198	1338	211	1378	218	1428	226	1428	226	1428	226	1428	226	1428	226	12310	1947
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1202	361	1252	376	1338	401	1378	413	1428	428	1428	428	1428	428	1428	428	1428	428	12310	3691
	Total		2439	2461	2524	2200	2697	2248	2768	1681	2869	1714	2869	1714	2868	1704	2869	1714	2868	1704	24771	17140

155

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ETAWAH

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C 4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
2	Salary of Computer Operators - 3 Nos.	7 p.m. x12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
3	MIS Equipments (where applicable)	460																			0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		**8**	**301**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**64**	**3797**
	Sub Total (D)		**5228**	**4711**	**5329**	**4421**	**5757**	**4966**	**5825**	**3964**	**6109**	**4477**	**6026**	**4022**	**6108**	**4467**	**6026**	**4022**	**6108**	**4467**	**52516**	**39517**
	Grand Total		**130429**	**101414**	**130630**	**171592**	**139971**	**188675**	**135335**	**179688**	**140753**	**189997**	**136944**	**190915**	**143249**	**199267**	**141061**	**199005**	**148620**	**209595**	**1246992**	**1630348**

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

156

SUMMARY OF PROJECT COST - I

ETAWAH

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	50882	2762	47770.00	**101414.00**
2002-2003				
Amount	77033	2637	91922.00	**171592.00**
2003-2004				
Amount	36848	2685	149142.00	**188675.00**
2004-2005				
Amount	31718	2118	146052.00	**179888.00**
2005-2006				
Amount	1548	2151	186298.00	**189997.00**
2006-2007				
Amount	2048	2151	186716.00	**190915.00**
2007-2008				
Amount	1298	2141	195828.00	**199267.00**
2008-2009				
Amount	1548	2151	195306.00	**199005.00**
2009-2010				
Amount	2048	2141	205406.00	**209595.00**
TOTAL	**204971**	**20937**	**1404440**	**1630348**
As % of Total Cost	**12.57**	**1.28**	**86.14**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
ETAWAH

(Rs. in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	23563.00	49181.00	23959.00	4711.00	101414.00
As % of Total Project Cost	23.23	48.50	23.62	4.65	100.00
2002-2003					
Amount	65166.00	77530.00	24475.00	4421.00	171592.00
As % of Total Project Cost	37.98	45.18	14.26	2.58	100.00
2003-2004					
Amount	72013.00	87151.00	24545.00	4966.00	188675.00
As % of Total Project Cost	38.17	46.19	13.01	2.63	100.00
2004-2005					
Amount	94703.00	57059.00	24162.00	3964.00	179888.00
As % of Total Project Cost	52.65	31.72	13.43	2.20	100.00
2005-2006					
Amount	77111.00	82456.00	25953.00	4477.00	189997.00
As % of Total Project Cost	40.59	43.40	13.66	2.36	100.00
2006-2007					
Amount	73140.00	87742.00	26011.00	4022.00	190915.00
As % of Total Project Cost	38.31	45.96	13.62	2.11	100.00
2007-2008					
Amount	72540.00	96308.00	25952.00	4467.00	199267.00
As % of Total Project Cost	36.40	48.33	13.02	2.24	100.00
2008-2009					
Amount	72740.00	95312.00	26931.00	4022.00	199005.00
As % of Total Project Cost	36.55	47.89	13.53	2.02	100.00
2009-2010					
Amount	72540.00	105909.00	26679.00	4467.00	209595.00
As % of Total Project Cost	34.61	50.53	12.73	2.13	100.00
GRAND TOTAL	623516.00	738648.00	228667.00	39517.00	1630348.00
As % of Total Cost	38.24	45.31	14.03	2.42	100.00

अनुलग्नक - 12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	30	7770	30	7770
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	20	6760	20	6760
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	30	1656	30	1656
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	80	3360	80	3360
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	20	900	20	900
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Cohart Study	200				
	Total		**181**	**20646**	**181**	**20646**
A2	Upgradatgion of EGS (TLE) to PS	10				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	2280	1607	1140	804
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Upper Primary	1.0 per child	960	960	480	480

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Total		**3241**	**2617**	**1621**	**1309**
A4	Back to School Campaign	1.5 per child	150	225	75	113
	Innovation in EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75	25	38
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**3622**	**23563**	**1902**	**22105**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms	70	266	18620	266	18620
	Additional Teachers Primary School	7.7×12	57	2633	57	2633
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	34	340	34	340
	Rec. of Old PS	191	20	3820	20	3820
	Rec of Old UPS	270	4	1080	4	1080
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	33	594	33	594
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	250	1250	250	1250
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	265	10600	265	10600
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	4 pa per school				
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer Camps	10 per camp	9	90	9	90
R6	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	4	300	4	300
R7	SUPW for girls	25 per school	2	50	2	50
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre	20	360	20	360
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district				
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	20	100	20	100
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	20	90
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	20	60	20	60
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	4160	291	4160	291
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320	20	160
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	4	20
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	8	40	4	20
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district	1	50	1	25
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best BRC	7 Per Block	8	56	8	56
R12c	Award for Best BRC	5 Per Block	8	40	8	40
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	200	141	100	71
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	592	710	296	355
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	8	800	4	400
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1202	601	601	301
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school	1202	6010	601	3005
	Sub Total (B)		**8469**	**49181**	**6838**	**44815**
(Q)	**Quality Improvement**					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	57	120	29	60
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	57	24	29	12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	30	13	15	7
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	20	8	10	4
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3552	2486	1776	1243
6	In Service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Inservice training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	100	210	50	105
8	Refresher course for Shiksha Mitra (5 Days)	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	8	6	4	3
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	75	53	38	27
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	13	18
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	13	27
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	83	125	42	63
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	17	6	9	3
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	8	3	4	2

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	15	5	8
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	3328	300	1664	150
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	5	350
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1200	420	600	210
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	4	14	2	7
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	10	25	5	13
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1200	252	600	126
	Total		**9819**	**4868**	**4910**	**2434**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3552	1776	3552	1776
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1195	598	1195	598
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per Child per year	97336	14600	97336	14600
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	931	466	466	233
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	271	271	136	136
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each				
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each				
12	School Awards	25	2	50	2	50
	Total		**103291**	**19091**	**102688**	**18058**
	Subtotal (C)		**113110**	**23959**	**107598**	**20492**
(C)	**DIET**					
C1	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appkicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200				
	Seminar	200				
9	Faculty Development	30				
	Publications	400				
10	Exposure visits	50				
11	Library	25				
12	Salary of Computer Operator	7				

165

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
	Contingency	100				
14	Consumable/Computer Stationary	10				
	Total					
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5	8	264	8	264
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	8	40	4	20
7	Maint of Equipment	1	8	8	4	4
8	Maint of Building	6	8	48	4	24
9	Books	10	8	80	4	40
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1202	361	601	181
11	Consumables	5	8	40	4	20
12	Contingency	12	8	96	4	48
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	96	29	48	15
	Total		**1354**	**966**	**681**	**615**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	75	375	38	188
5	Contingency	2.5	75	188	38	94
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	75	180	38	90
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1202	240	601	120
	Total		**1427**	**983**	**714**	**492**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators - 4					
	Consultants - 2					
	AAO					
	Driver - 1					
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	426
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixtures	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	12	600	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	8	576	8	576
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	POL for Motorcycle	12x4	4	48	4	48
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

ETAWAH

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Supervision & Monitoring	0.158 per schcol	1202	190	1202	190
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1202	361	1202	361
	Total		**2439**	**2461**	**2439**	**2461**
C 4.1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	60
2	Salary of Computer Operators - 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	2	84
3	MIS Equipments (where applicable)	460				
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		**8**	**301**	**7**	**259**
	Sub Total (D)		**5228**	**4711**	**3841**	**3827**
	Grand Total		**130429**	**101414**	**120177**	**91238**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No...... D-11490
Date 05-07-2002.

168

परिशिष्ट

रजिस्ट्रेशन संख्या—177

रजि0 नं0 एस0एस0/एन0पी0 890

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशिष्टतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (छ-2) निकाल दिया जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिनिर्दिष्ट प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् की सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद् लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी बनना अपेक्षित।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :— धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

"10—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अधीन रहते हुए निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

10-क—नगरपालिकाओं के कृत्य—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

11-(1) गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य—प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं; और

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय; लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।". अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1215 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) In sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (c) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (e) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(f) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (b) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (c) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (d) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) in clause (c) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (d) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to [illegible] any [illegible] of any [illegible] such [illegible] as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistent with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*;

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

Functions of Zila Panchayats

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

Functions of Municipalities

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

Gaon Shiksha Samiti and its function

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

डा० राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

...2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ०प्र०।
4- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ०प्र० शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ०प्र० लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9- शिक्षा निदेशक (सा०/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ०प्र० लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
12- शिक्षा xxxx विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र [illegible])
विशेष सचिव।

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

Omission of section 12-A

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Insertion of new section 13-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"13-A. Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.".

Over riding effect (side note to section 13-A)

Amendment of section 14

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of section 17

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Repeal and savings

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० 255 राजपत्र (हि०)—(433)-2000-597 (मेक०)।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (1) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(2) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

क्षा मित्र की क्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (1) शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(2) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जा सकेगा।

.....2.....

(3) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा 'शिक्षा मित्र' का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी०एस०पी०/डी०पी०ई०पी० योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे०) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आंकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार 101 छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

....3..

(ख) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करें, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

111 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1111 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व का निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- 111 शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरनना स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।IV। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

13- ।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र " के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी

......

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- **प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रो की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

<u>शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:</u>

प्रदेश मे विभिन्न जनपदो में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदो मे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में नियमित अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन</u>:

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हो और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को बरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत से जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. शिक्षा मित्र की अर्हतायें:

शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी०एड०/एल०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. शिक्षा मित्र का कार्यकाल:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नही दिया जायेगा।

6. शिक्षा मित्र का मानदेय:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेयं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 [illegible] का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 [illegible] का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हे निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते हैं तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -.........................
जिला -................................

महोदय,

ग्राम पंचायत-...द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक......................को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल	श्रेणी	प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट	श्रेणी	प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0	श्रेणी	प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्ते मान्य होंगी।

दिनांक- भवदीय,

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण कार्यों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादामिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थाये शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन0 रविशंकर)
सचिव।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यो के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषाये, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(ओ0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं..आत्मज/पत्नी..

ग्राम..पंचायत समिति......................................

जिला....................................स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उपद्रवी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जावे तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में, यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा०प०नि०/ 539 /2001-2002
लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य-सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस०आई०ई०टी०, लखनऊ	सदस्य

{17} निदेशक, महिला समाख्या — सदस्य

{18} सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो। — सदस्य

{19} प्रमुख सचिव {शिक्षा} द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो। — सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डनेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.......3/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।

* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस येाजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.......4/-

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-2000/ए०-2-2000-2/13191/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, संलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहाँ के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उनके इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन/अतिरिक्त मानदेय के रूप में भुगतान की जायेगी :-

1- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	रु0250/-
2- [illegible]	रु0125/-

जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम"

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां भी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आपूर्ति सामग्री सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा समिति में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम समिति के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु05000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु05000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम समिति में स्थानान्तरण की जायेगी।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर चार्ट पेपर, कैंची, स्केच पेन, कलर बॉक्स तथा पत्रिका के पेज रखना अनिवार्य होगा। इन पेजों की पूर्ति क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र [illegible] के आधार पर अधिक से अधिक इन पेजों को इकट्ठा करें क्योंकि इन पेजों से बच्चों के [illegible] रूप में अनुपूरक पाठ्यसामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

6- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रम० जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	
1 2	3	4	5
1- देवरिया	बरहज	35	लबरही, लोहा, भटिया, मईल मईल, बैना, रामपुर, हरनाथ, बसावन, [illegible], [illegible], [illegible], हरकोटा, कोटवा, बरांव, [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible] उपाध्याय, तरकुली [illegible], हरकही, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], विश्वपुर, बहुवारपरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवपार, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], विशुनपुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तवकली ।
	रुद्रपुर	18	मझना, पकड़िया, मतिहरपुर, [illegible], रामगढ़, कहोली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], शीतलपारा, [illegible], [illegible] ।
	सलेमपुर	10	[illegible], [illegible], [illegible], देवरिया [illegible] रामपुर, हरखोर, [illegible], [illegible] गोसाई, [illegible], शिव [illegible], [illegible] ।
	बैतालपुर	12	[illegible], जगदीशपुर, बेलडरिया, गोविन्दपुर, [illegible], करमैल [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ईटवा ।
2- गोरखपुर	पीपरायच	67	[illegible], परसौना, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] -1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] -1, [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

	दुद्यी	44	चोइर, रजखड़, दुम्होल, महुवरया, कुलडाइरिया, दमोरा, शारोफ्ला, स्टोनी, शारोफुर्द, पिपराही, गड़ौली, रजडू, महरेवा, पटगड, जगुरी, टेहरा, पोहरा, झरवा, झरवार, मिमिताडीह, पिपरडीह, रामपुर, हरपुरा, महुली, सारिहा, मडीहेगर, लरैयाडीह, टरती, डोलदा, सुरेहवा, चोतिलपुरा, कामानुसा, डेवार रा रजखड़-II, दुम्होल-II, डहमाडी, नरवा दवीर। जपला, स्टोली, दमोरा, महुआरिया, डुमरडीहा, अंपर, दीदुम। डुमरडीहा।
3- ललितपुर	मडावरा	16	रतगांव, गुरयाजा, दैरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गोजा, गोजा, रजपारा, झुखोजा, अतंदर, पहड़ीखता, टोलदा, धौरीलागर, पगराखा, उतपजापुर्द, डोंगरा बाताबेहट, स्वजांरा, पटशेमरा, धौरी।
	बिरधा	04	
	पूरा	25	धारोज, टोडी, केलगवां, जरावली, मोगाल, बार, नगर, देपराव, सिंगलौआ, नाजपुर, डगराजा, खारीटोरन, कैलोशीलोन, गेदोरा, ब्लवारा, ललजा, सुहंराटरा, भारोली, बगारा, हीरापुर, पिरता, करवई, हिदौरा, दैलपारा, गावती।
	जखौरा	03	पितरा, सिवजीपुर्द, बगरौआ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बैसारा।
	तालबेहट	24	करेमा, पजगुंवस्ला, सिजरोठा।पोलाईं, म्यांव, मऊ कोटरा, उदगुदा, पिजयपुरा, पूराकला, पुरायती, झुमेरा, कड़ेसरताडा, सेरवांसकला, सिजरोठा, सिहारीपुरा, राजीपुरा, आदपे, पटदेसरा, झरटोरा, कड़ारी, हमुरा, झारोरी, हांसा, रजायत।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, कोतिया, ग्वाई-मोठा, फतिला-फरतपुर, खिड़िया, पेंपल, पररैव, आगी हरवातपुर, छईपुर, सिंझौली गंज, रहेडिया, उरैला, हरनाटपुर, पोरमपुर, खुदपुरा, शीरापुर, पिहजरी, पानरपुर, कोर, ह पसोटा, अरवारी, डारा, मसिलमोटिया, सिंहरा, [illegible] ।

	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ... हरपुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] बनरगरा, आमीपुर, [illegible] महराजी, [illegible], उदयपुर, [illegible], [illegible] ।
5– महराजगंज	पनियरा	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], देवीपुर, [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible] ।
	महराजगंज	15	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	[illegible]	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
	फरेन्दा	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] गणेशपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, गोपालपुर [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
6– [illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible] ।
	[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवराज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

.... 4

7- फिरोजाबाद फिरोजाबाद 49

रजिावल, रहट्टी, नगला, मिरकरा, सहजापुर, अरांव, इटौली, गिजवपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, जारखी, पुरौहन्त, हरगनपुर, अब्बासपुर, हैवतपुर -अर्जा, हरिचर, गढ़ुरा, मुबारकपुर, नगला-बाकर, खजनापुर, अस्तरा, माढोचिरौली, इकपुर, नगला मोती, प्रतापपुर, टोउरा, अटीके लाल, चितखनी, इमरा विराज, भूलवई, पूठा चरउरा, अहारा, बाहपुर, अगरौली, लैमड़ा, करमई, वजनपुर-अर्जा, हरगरा, जाटौ, चामीरपुर, नीम-खेरिया, बड़हौली, गाँगनी, खनीरपुर, नाजपुर, चमतीपुर, जाटपुर, रूपुरा, करवपुरा, रसार, कलानपुर।

टूण्डला 41

मोहम्मदपुर, टूण्डला जागीर, टूण्डला जागीर, चाई, मोहम्मदाबाद, नयाबाद मुहम्मदाबाद, टूण्डली, बड़ारन, बडसिंगी, चाई, टूण्डला, खेरपुरा, गोरपुरा, पहाड़पुर, ठारतोरा, अगलपुर, मंडौली, नगला, गढ़ी गोपाल, पुलाबली, पटावली, नगरीअ, कोटकी, देवखेड़ा, पचारहरी, गुई बटना, दौवर, गढ़ी झंगल, पुलातनगर, हैमराजपुर, नारिंग, औरगढ़, गढ़ी बोरी, हटरल, हिम्मतपुर, बड़ाला, बड़गरव, गढ़ी, विरम, मिहीपुर, नटौला, पिलाड़।

8- लखीमपुर खीरी निघासन 126

सुरपतहा, मिरजापुरखा, मोहम्मदियाबेहड़, नयोरी, केशरिया, केशरा, केशरा-2, बब परसौला, मोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाहीमाला, सिंगाही, अमरौला, परसौला, पुरवा परसौला, पुरवापरसौला, औरंगाबाद, रमनगर, मंगलपुरवा, सिंगाहीखुर्द, सिंगाही, सिंगाही, सिंगाही, कुम्हारपुरवा, बढ़ी पुरवा, रघुनाथपुरखम्भी सिंगाहीखुर्द।

मितौली 25

मड़ेरा, छिमरौल, लखिहा, रामनगर, अमारा, ब तेलपुर, कड़सिहिया, देवरिया, अलीगंज, रड़ा देवरिया, बम्हनपुरवा, मेहवी, गुलरिया, बोझा-1, [illegible]

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], नगुरी, कोसिया, असनिया । अमेठी ।
	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, [illegible], पाकबाड़ा, [illegible], [illegible], सोनीपुर, रानपुर, [illegible], [illegible], [illegible], देवापुर, [illegible], रघुपुर, [illegible], दौलतपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		पितार्.	09	[illegible], रतनपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], राजा का सहसपुर, कुड़, गेहरा, तेहपुर ।
		कुन्दरकी	15.	पिपुर, [illegible], पिडियाठेर, हाटीपुर सिंह, चाँदपुर गालेत, गोवर्धनपुर, मधुपुर, हरियाना, [illegible], [illegible], अटपुरा, ताजपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	पड़री कृपाल	25	पड़री कृपाल, [illegible], [illegible], सिंघौर, [illegible], रुपईपुर, [illegible] द्वितीय, शेखपुर, पिपरा, [illegible], [illegible], [illegible], मिश्रपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पीरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], गंतरी ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], मीती, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], आलमपुर, बेगमगंज-II, [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बरवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12- बरेली	बरेली शहर	124	इज्जतनगर, [illegible], [illegible], सिविल लाइन्स, [illegible]-11, [illegible], [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, शिवपुरी-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-111, [illegible], [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-111, [illegible]-111, मढ़ीनाथ-111, [illegible]-111, [illegible]-111, शिवपुरी-111, [illegible]-111, [illegible]-11, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, [illegible]-4, [illegible]-11, [illegible]-111, मढ़ीनाथ-4, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-4 ।
13- पीलीभीत	पीलीभीत	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

	[illegible]पुर	25	[illegible], रसूलाबाद ।
	[illegible]	25	[illegible], [illegible] ।
14-	सिद्धार्थनगर [illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-सिद्धार्थनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
	डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible] ।
	बर्डपुर	25	[illegible], [illegible] ।
15-	संतकबीरनगर बघौली	22	[illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/9

प्रेषक,

डा. के.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे0)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.शै.अ. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 200

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल. 17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जी.ओ.आई. यू.एन. के अन्तर्गत लिया गया है, कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में प्रशिक्षित शिक्षकों से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें उपचार-पत्र देना तथा सूक्ष्मपोषक (डी-वार्मिंग)

क्रमशः—

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1. लाल संदर्भ कार्ड — गम्भीर रोगों के लिये
2. पीला संदर्भ कार्ड — कम गम्भीर रोगों के लिए
3. हरा संदर्भ कार्ड — साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/सैनिक/धर्मार्थ संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक में पी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये पी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह के प्रारम्भ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा भवन, लखनऊ को व इसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

..........4

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव ~~म/म~~ महोदय के सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल।
5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कामिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना (बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद)

1. वाराणसी
2. अमेठी
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौसी
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी० जनपद)

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी०-तृतीय जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	ऊधमसिंहनगर
32.	हरिद्वार

क्रमांक	जनपद का नाम
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	बलरामपुर

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............ रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रवण दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था/ हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक/कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक/अभिभावक शिक्षक बैठक/कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा—कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ—सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ—सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी
भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई / विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्यापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन / अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है / उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास करा के जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण / इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों / बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	**50**
श्रेणीकरण	:	
	<u>अंक</u>	<u>श्रेणी</u>
	41-50	अ (A)
	26-40	ब (B)
	16-25	स (C)
	0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
PRC C											
CRC C											
SDI											
ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11490

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11490
DOC, No .... 09-07-2002.
Date ....